उत्तराखण्ड सरकार

वित्त मंत्री

# प्रकाश पन्त

का

वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट अनुमानों

पर

# बजट भाषण

**माननीय अध्यक्ष महोदय,**

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2019–20 का आय–व्ययक प्रस्तुत कर रहा हूँ।

**लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्।**

**कारूण्यरूपं करूणाकरं तं श्री रामचन्द्रं शरण प्रपद्ये।।**

मान्यवर, यह आय–व्ययक देश के **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की विचारधारा "हम वादे नहीं इरादे लेकर आये है"** से प्रेरित हमारी सरकार का राज्य की चौथी विधानसभा में तीसरा आय–व्ययक है। हमारा यह आय–व्ययक किसान, स्वरोजगार एवं महिला कल्याण पर तो आधारित है ही, साथ ही गत वर्षों में **प्रदेश के विकास पुरूष माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी के दिशा–निर्देशन** में राज्य सरकार द्वारा निरन्तर की गई प्रगति की समीक्षा एवं वित्तीय प्रबन्धन पर ध्यान देते हुए विभिन्न कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी प्रमाणित करता है।

जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के कार्यकाल में हुआ था। वे एक सच्चे युगदृष्टा की भाँति विकास की राह देख रहे उत्तराखण्ड की वास्तविक स्थिति और समस्याओं को समझते हुए पृथक उत्तराखण्ड राज्य को समेकित विकास की ओर अग्रसर करने के हिमायती थे। यह हमारा सौभाग्य है कि मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी उत्तराखण्ड के विकास हेतु कृत संकल्प हैं। रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण व स्वास्थ्य आदि सभी क्षेत्रों में मा0 प्रधानमंत्री जी का निरन्तर सहयोग प्राप्त हो रहा है। मैं प्रदेशवासियों की ओर से केन्द्र सरकार द्वारा दिये जा रहे सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूँ।

बजट एक वित्तीय प्रक्रिया है जिसमें लोक कल्याण के कार्यक्रम समाहित हैं। अतः यह आवश्यक है कि जनता की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं का सही आंकलन किया जा सके। इस दिशा में सार्थक पहल कर इस बजट के निर्माण में बजट एप, सोशियल मीडिया यथा फेसबुक आदि माध्यमों से प्रदेश की जनता से संवाद स्थापित कर विभिन्न सुझाव प्राप्त किये गये एवं उन्हें यथासम्भव सम्मिलित करने का प्रयास भी किया गया है।

मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये चरणबद्ध नीतिगत निर्णयों एवं वित्तीय अनुशासन का प्रदेश की आर्थिकी में सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हुआ है। **प्रचलित भाव के आधार पर वर्ष 2018–19 में राज्य**

**सकल घरेलू उत्पाद (अग्रिम अनुमान) रू0 2,37,147 करोड़ अनुमानित है, जो कि वर्ष 2017–18 की तुलना में 10.34 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार प्रचलित भाव के आधार पर राज्य निवल घरेलू उत्पाद के आधार पर वर्ष 2018–19 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय रू0 1,90,284 (अग्रिम अनुमान) व वर्ष 2017–18 में रू0 1,74,622 (अनन्तिम अनुमान) अनुमानित की गयी है, जो कि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से काफी अधिक है।**

प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए राज्य के लाखों प्रदेशवासियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति जो विश्वास प्रदर्शित किया है, उस विश्वास की कसौटी में खरा उतरते हुए हमारी सरकार ने गत वर्षों में अनेक उपलब्धियाँ अर्जित की हैं।

प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार एवं संस्थागत तौर पर सुशासन हमारा संकल्प है। भ्रष्टाचार से जहाँ एक ओर शासन की छवि धूमिल होती है, वहीं जन सामान्य का सरकार के प्रति विश्वास भी कम होता जाता है। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध **जीरो टॉलरेन्स** का दृष्टिकोण अपनाया है।

सुशासन के लिये कार्यों में पारदर्शिता, जनसामान्य को नियत समय में सेवाएं प्रदान करने एवं विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायतों के निवारण के दृष्टिगत उत्तराखण्ड लोक सेवा अभिकरण का गठन, 1905 टोल फ्री नं0 एवं सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 217 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है।

समाजार्थिक विकास हेतु एक ओर नये कार्यक्रमों के अन्तर्गत परिसम्पत्तियाँ सृजित कर आय वृद्धि एवं रोजगार सृजन तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार महत्वपूर्ण हैं, वहीं दूसरी ओर अधूरे कार्यों को समयबद्ध एवं चरणबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना तथा सृजित परिसम्पत्तियों का अधिकाधिक उपयोग भी महत्वपूर्ण है। **सीएम डैश बोर्ड** के माध्यम से प्रभावी अनुश्रवण की व्यवस्था इसी उद्देश्य से की गई है। विभिन्न विभागों से विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा राज्य के सतत् विकास हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चिन्हित 17 सतत् विकास लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु शिक्षा व चिकित्सा सम्बन्धी सामाजिक विषयों के साथ–साथ प्रमुख विकास इंजन (Growth Engine) यथा पर्वतीय जैविक कृषि, औद्योगिकरण, जड़ी–बूटी व सगन्ध पादप, पर्यटन, आयुष, वानिकी, एम0एस0एम0ई0 एवं ऊर्जा के क्षेत्र पर फोकस करते हुए **उत्तराखण्ड विजन–2030 जारी किया गया है।**

**सरकार वर्ष 2020 तक** अपनी प्रतिबद्धताओं जैसे–प्रत्येक परिवार को गैस–ईंधन, सेवा क्षेत्र में अधिकतम रोजगार, प्रत्येक घर को बिजली, 5000 होम स्टे, सभी 13 जनपदों में

ट्रामा सेन्टर, शत्प्रतिशत साक्षरता आदि को सुनिश्चित किए जाने की दिशा में निरन्तर कार्य कर रही है। इसके दृष्टिगत व्यक्ति के जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप अनेक योजनाएं शिक्षा, समाज कल्याण, चिकित्सा, कृषि, सेवायोजन, उद्योग आदि विभागों के माध्यम से संचालित की जा रही है। समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने एवं राज्य के संसाधनों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार की भांति राज्य सरकार द्वारा भी **राज्य के पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया है**। राज्य सरकार का यह कदम सामाजिक एकता, समानता एवं समरसता के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।

इसी प्रकार राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत व बाहर समूह–ग की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तराखण्ड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से पास की हो। रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देने हेतु राज्य के निवासी जो राज्य से बाहर रोजगार हेतु निवास करते हैं, के पाल्यों को भी समूह–ग की परीक्षा में अवसर दिया जायेगा।

मैं निम्न पक्तियों के साथ वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक की विशेषताओं से सदन को अवगत कराना चाहूँगा–

**घर के बाहर रास्ते में भी।**

**जला दो कुछ दिये ।।**

**ये न सोचो कौन गुजरेगा।**

**इधर से और किस लिये।।**

**कृषि, औद्यानिकी एवं सहकारिता :**

1. **अन्नदाता सुखी भवः** की भावना के अनुरूप केन्द्र सरकार द्वारा अपने अन्तरिम बजट 2019–20 में छोटे एवं सीमान्त किसानों को एक निश्चित सहायता सुनिश्चित करने की दृष्टि से **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम–किसान** प्रारम्भ की गयी है, जिसमें लघु एवं सीमान्त भू–स्वामी किसानों को प्रतिवर्ष 6000 की दर से सहायता प्रदान की जायेगी। इस क्रान्तिकारी नीति हेतु, मैं केन्द्र सरकार का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। **राज्य सरकार का अनुमान है कि इससे राज्य के 90 प्रतिशत से अधिक कृषकों को लाभ होगा एवं लगभग**

**450 करोड़ रूपये की धनराशि इन कृषकों के खातों में डी0बी0टी0** के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

2. **इसी कड़ी में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी "दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना"** के प्रारम्भ से आतिथि तक 1,49,880 कृषकों को रू0 733 करोड़ के अल्पकालिक/मध्यकालिक ऋण 2 प्रतिशत ब्याज दर पर वितरित किया गया है। कृषकों को और अधिक सहायता प्रदान करने हेतु सरकार ने यह निर्णय लिया है कि **सीमान्त एवं गरीब किसानों को एग्रोप्रोसेसिंग एवं कृषि कार्यों के लिए रू0 1.00 लाख तक का ऋण इस योजना के अन्तर्गत शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जायेगा। आय–व्ययक 2019–20 में इस योजना हेतु रू0 50.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।** किसानों के लिए सरकार द्वारा पूर्व से ही किसान पेंशन योजना भी संचालित की जा रही है, जिस हेतु रू0 33.00 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है।

3. साथ ही साथ **कृषि को बढ़ावा देने हेतु कृषि संबंधी क्रियाकलापों में कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूहों को रू0 5 लाख तक के ऋण को शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध कराने का सरकार ने निर्णय लिया है।**

4. राज्य के चार जनपदों यथा–देहरादून, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार एवं नैनीताल में गन्ना मुख्य फसलों में एक फसल है। मुझे सदन को बताते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों पर कृषकों की वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु कोई देयता शेष नहीं है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में इस हेतु **कुल रू0 215.00 करोड़ की** धनराशि प्रस्तावित है।

5. राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को रू0 4.50 प्रति कुन्तल की दर से वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने तथा पेराई सत्र 2017–18 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु सस्ते दर पर ऋण दिये जाने का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप राज्य के लगभग 72000 कृषक लाभान्वित होंगे।

6. सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल बाजपुर व नादेही के आधुनिकीकरण व सह–विद्युत उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु यू0जे0वी0एन0एल0 से एम0ओ0यू0 किया जा चुका है तथा लगभग **280 करोड़** की निविदा प्रक्रिया गतिमान है।

7. चीनी मिल **डोईवाला में नयी आसवानी लगाये जाने** व बाजपुर में स्थापित आसवानी के आधुनिकीकरण किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है।

8. किसानों को विभिन्न आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से संरक्षित करने हेतु **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत** चावल, मंडुवा व गेहूँ सम्पूर्ण प्रदेश में एवं

मसूर, जनपद पौड़ी तथा पिथौरागढ़ हेतु संसूचित है। वर्ष 2019–20 में इस योजना अन्तर्गत समुचित प्राविधान आय–व्ययक में किया गया है।

9. उत्पादन में वृद्धि एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत रू0 50.50 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

10. किसानों की उत्पादकता में वृद्धि, लघु एवं सीमान्त कृषकों की कृषि यंत्रीकरण तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए **सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना** में मुख्य रूप से **फार्म मशीनरी बैंक** स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर तक फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करना है। **नवम्बर 2018 तक 383 फार्म मशीनरी बैंक** स्थापित कर दिये गये हैं।

11. भारत सरकार की महत्वपूर्ण **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत** 23 विभागों/संस्थाओं की परियोजनायें सम्मिलित हैं। वर्तमान में 54 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है तथा वर्ष 2019–20 की नई परियोजनायें भी सम्मिलित की जायेंगी। इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु **रू0 87.00 करोड़** का प्राविधान किया गया है।

12. वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा योगदान दिया जा रहा है। इस योजना के दूसरे चरण 2018–19 से 2020–21 के लिये 3900 क्लस्टरों का चयन किया गया है, जिसमें परम्परागत फसल व विभिन्न सब्जी, फल, जड़ी–बूटी व सगन्ध पौध एवं रेशम के क्लस्टर सम्मिलित हैं। इस योजनान्तर्गत 78000 हेक्टेयर पी0जी0एस0 प्रमाणीकरण के अन्तर्गत लाया जायेगा, ताकि स्थानीय व परम्परागत फसलों, जड़ी–बूटी, बेमौसमी सब्जियों, फलों आदि का अधिक मूल्य प्राप्त हो सके, जो कृषकों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। इस योजना अन्तर्गत **रू0 104.12 करोड़** का प्राविधान किया गया है।

13. **'संकल्प से सिद्धि' तथा 2022 तक किसानों की आय को दोगुना** करने की परिकल्पना से प्रेरित होकर सहकारिता के माध्यम से प्रदेश के सर्वांगीण विकास, पलायन रोकने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों के दृष्टिगत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित समेकित सहकारी विकास योजना हेतु **रू0 100.00 करोड़** का प्राविधान इस आय–व्ययक में किया गया है।

14. मृदा की उत्पादकता बढ़ाने एवं मृदा स्वास्थ्य के परीक्षण कराये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2019–20 के दो वर्ष के चक्र में कुल 8 लाख 81 हजार कृषि जोतों (कृषकों) को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये जाने हैं, जिसके सापेक्ष 6 लाख 78 हजार कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये जा चुके हैं। इससे कृषकों को वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने में सहायता प्राप्त होगी एवं भूमि की उत्पादकता भी बढ़ेगी।

15. राज्य में औद्यानिकी के विकास हेतु **राष्ट्रीय उद्यान मिशन** योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में 14 फल पौधशालाओं की स्थापना, 1260 हे0 में फलों, 850 हे0 में सब्जियों, 225 हे0 में पुष्पों का क्षेत्रफल विस्तार, मशरूम उत्पादन इकाई, स्पॉन उत्पादन इकाई, पुराने उद्योगों का जीर्णोद्धार आदि हेतु उपरोक्त योजनान्तर्गत **रू0 51.00 करोड़** की धनराशि प्रस्तावित है।

16. **उद्यान बीमा योजना** में प्रथमतः ओलावृष्टि को सेब फसल हेतु मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है तथा इस वर्ष अन्य व्यवसायिक फसलों को भी योजना में आच्छादित किया जायेगा। इस योजना अन्तर्गत लगभग **50 हजार कृषकों की फसलों का बीमा** किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक में **रू0 20.00 करोड़** का प्राविधान किया गया है।

17. राज्य में औद्यानिकी के चहुमुखी विकास हेतु सरकार निरन्तर कार्य कर रही है। इस क्रम में **वाह्य सहायतित 'बागवानी विकास परियोजना'** के क्रियान्वयन हेतु **रू0 700 करोड़** के सात वर्षीय प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। इस योजना के क्रियान्वयन से फल, सब्जी, चाय विकास, खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण आदि घटकों का क्रियान्वयन किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत **फसलवार वेल्यू चेन एवं उत्कृष्टता केन्द्र** स्थापित किये जायेंगे।

18. देश–विदेश में जैविक चाय की मांग के दृष्टिगत सरकार ने जैविक चाय की खेती को यथा सम्भव प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। राज्य की जलवायु के अनुकूल नौटी (चमोली) चाय बागान, घोड़ाखाल (नैनीताल) चाय बागान एवं चम्पावत चाय बागान के कुल 485 हे0 क्षेत्रफल को जैविक चाय क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। राज्य में चाय विकास योजना अन्तर्गत **रू0 17.00 करोड़** की धनराशि प्राविधानित है।

19. कृषि एवं औद्यानिकी के अन्तर्गत **कुल रू0 1341.10 करोड़** का प्राविधान आय–व्ययक में प्रस्तावित है।

**औद्योगिक विकास :**

20. राज्य के नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराना राज्य की प्राथमिकताओं में है। इसी क्रम में राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन–डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड देहरादून में आयोजित किया गया जिसमें **1.24 लाख करोड़ रूपये के कुल 601 एम0ओ0यू0** हस्ताक्षरित किये गये। **दिसम्बर 2018 तक विनिर्माण क्षेत्र की रू0 3117 करोड़ की परियोजनाओं सहित कुल रू0 9010 करोड़ की 78 परियोजनाओं** पर कार्य आरम्भ हो गया है। राज्य सरकार की इस पहल से प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

21. निवेशकों के लिये पारदर्शी एवं समयबद्ध अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए **"इज ऑफ डूइंग बिजनेस"** हेतु महत्वपूर्ण पहल करते हुए नई योजनाएं प्रारम्भ की जा रही हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में की गई रैंकिंग में राज्य 98.10 प्रतिशत अंको के साथ 11वें स्थान पर रहा। **मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि उत्तराखण्ड हिमालयी राज्यों में शीर्ष स्थान पर है।** वर्ष 2018 में निर्धारित 80 कार्य बिन्दुओं पर अधिक सजगता से सम्बन्धित विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है, जिससे राज्य की रैंकिंग में सुधार कर अधिक निवेश आकर्षित किया जा सके।

22. **राज्य में निवेश को सुगम बनाने हेतु "उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था" ऑनलाइन लागू है।** इस व्यवस्था के तहत 2844 निवेश के प्रस्ताव कॉमन एप्लीकेशन फार्म (CAF) के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त हुए, जिसमें रू0 76257.93 करोड़ का पूँजी विनियोजन एवं 49380 लोगों को रोजगार प्रस्तावित था। इसमें 922 आवेदित निवेश के प्रस्तावों में से 668 निवेश के प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं। **इन प्रस्तावों में रू0 4979.37 करोड़ का पूँजी निवेश तथा 16106 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।**

23. राज्य के चहुमुखी विकास एवं निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा **मेगा औद्योगिक और निवेश नीति 2005 (यथासंशोधित 2016/2018), एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 (यथासंशोधित 2018, सूचना, संचार प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स नीति–2018, इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नीति–2018, वृहद**

**औद्योगिकी पूँजी निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018, चीड़ की पत्तियों व अन्य बायोमास से ऊर्जा उत्पादन के लिये नीति–2018, स्टार्ट–अप नीति–2018, पर्यटन नीति–2018, आयुष नीति–2018, सौर ऊर्जा नीति–2018, एरोमा पार्क नीति–2018 एवं जैव प्रौद्योगिकी नीति–2018** प्रख्यापित की गयी है।

24. उक्त नीतियों में निहित प्राविधानों के समयबद्ध संचालन तथा निवेश एवं रोजगार को प्रोत्साहन करने हेतु इस आय–व्ययक में विभिन्न प्राविधानों के अन्तर्गत कुल रू0 50.00 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

25. इज ऑफ डूइंग बिजनेस की भावना के अनुरूप "उत्तराखण्ड जमींदारी उन्मूलन एवं विकास अधिनियम" में संशोधन कर एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र के उद्यमों के लिये भूमि क्रय हेतु जिलाधिकारी को अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि के औद्योगिक प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर स्वतः ही भू–उपयोग परिवर्तन का प्राविधान किया गया है।

26. प्रदेश के विशिष्ट स्थानीय संसाधनों की अभिवृद्धि एवं उन पर आधारित एम0एस0एम0ई0 की स्थापना को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर सृजित करने तथा सभी क्षेत्रों का समन्वेषी विकास करने हेतु विशेष प्रयास किये गये है। इसी क्रम में **मा0 मुख्यमंत्री जी की ग्रोथ सेंटर की संकल्पना** के अनुसार विभिन्न विभागों से **'डवटेलिंग'** के माध्यम से कार्य कराये जा रहे हैं। आतिथि तक कुल 48 ग्रोथ सेंटरों पर स्वीकृति दी जा चुकी है। ये ग्रोथ सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने में कारगर सिद्ध होंगे।

27. प्रदेश में नवोन्मेष को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2020 तक राज्य में 200 स्टार्ट–अप प्रारम्भ करने के दृष्टिगत सरकार निरन्तर प्रयासरत है।

28. देहरादून में Central Institute of Plastics and Engineering Technology (CIPET) के कौशल विकास केन्द्र का आरम्भ किया गया है। आगामी 3 वर्ष में प्रतिवर्ष इस सेन्टर से 3000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए शत–प्रतिशत सेवायोजन, कैम्पस प्लेसमेंट के माध्यम से किया जाना है।

29. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम** के अधीन बैंकों द्वारा दिसम्बर, 2018 तक 3584 परियोजनाओं हेतु रू0 66.29 करोड़ की मार्ज़िन मनी के आवेदन स्वीकृत किये गये हैं तथा 2799 परियोजनाओं को रू0 52.12 करोड़ की मार्जिन मनी (बैकलॉग सहित) संवितरित की गयी है।

30. सरकार द्वारा महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने एवं उद्यमिता की भावना को विकसित करने के लिए महिला उद्यमियों हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत धनराशि **रू0 4.00 करोड़** के प्राविधान सहित एम0एस0एम0ई0 के विभिन्न सैक्टरों के लिए कुल **रू0 193.87 करोड़** की धनराशि का प्राविधान इस आय–व्ययक में किया गया है।

31. राज्य के राजस्व एवं वन क्षेत्र में शासन द्वारा अधिसूचित 210 रिक्त उपखनिज क्षेत्रों में से 97 उपखनिज क्षेत्रों की ई–नीलामी सम्पन्न की जा चुकी है, जिससे **गत वर्ष की अपेक्षा माह दिसम्बर तक 23.5 प्रतिशत राजस्व की वृद्धि हुई है** एवं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।

32. राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (NMET) के कोष में मुख्य खनिजों के अन्वेषण कार्यों हेतु पट्टाधारकों से रायल्टी का 2 प्रतिशत धनराशि/अंशदान जमा कराया जाने का प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में खनन प्रशासन के 3000 क्षेत्रीय निरीक्षण के प्रकरण व खनिजों से **रू0 750 करोड़** का राजस्व अर्जन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

**पशुपालन डेयरी विकास तथा मत्स्य :**

33. पशुपालन एवं संबद्ध गतिविधियां किसानों एवं ग्रामीण आर्थिकी का महत्वपूर्ण अंग हैं। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार यथाशक्ति इस सेक्टर की सहायता हेतु प्रयासरत है। इसी क्रम में, उत्तराखण्ड राज्य में गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन को विनियमित करने हेतु उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा "**उत्तराखण्ड गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन विधेयक, 2018**" पारित किया गया है। **बद्री गाय के संरक्षण एवं संवर्धन की** मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, नरियालगांव, चम्पावत में **'एलीट हर्ड'** की स्थापना प्रस्तावित है, जिससे नवीन तकनीक द्वारा प्रजाति संरक्षण व संवर्धन के कार्य किये जायेंगे व नस्ल उत्पादकता बढ़ने से पशुपालकों की आय बढ़ेगी।

34. राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनान्तर्गत **देश की प्रथम लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला (sex sorting semen production laboratory)** की स्थापना **अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, श्यामपुर–ऋषिकेश में की जा रही है** लिंग वर्गीकृत वीर्य (सैक्स सॉर्टेड सीमन) से कृत्रिम गर्भाधान करके सामान्य से लगभग 30 हजार अधिक बछियाँ उपलब्ध होंगी, जिससे भविष्य में प्रतिवर्ष **दो लाख लीटर** अधिक दुग्ध उत्पादन होगा।

35. भारत सरकार द्वारा **सहायतित नेशनल लाईवस्टॉक मिशन योजना के अन्तर्गत विदेश (आस्ट्रेलिया) से मेरिनों नस्ल की 200 भेड़ें तथा 40 नर मेढ़ों का आयात** कर राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों के संवर्धन के साथ ही भेड़ों में अन्तः प्रजनन को रोकने हेतु उच्च वंशावली के मेढ़े इच्छुक भेड़ पालकों को उपलब्धतानुसार प्रदान किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा **रू0 765 लाख** की धनराशि 90 प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत की जा चुकी है।

36. **नाबार्ड द्वारा रू0 411.58 लाख की धनराशि** तीन राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों का आधुनिकीकरण व सुदृढ़ीकरण हेतु अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त के अतिरिक्त, 02 राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों हेतु **रू0 997.74 लाख,** उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद् परिसर में कौशल विकास की स्थापना हेतु **रू0** 428.51 लाख एवं पशुलोक–ऋषिकेश में **'क्रॉसब्रीड हीफर रियरिंग फार्म'** की स्थापना किये जाने हेतु **रू0 1051.36 लाख** के प्रस्तावों पर सहमति प्राप्त हो चुकी है।

37. राज्य सरकार खुरपका एवं मुँह पका रोग के उन्मूलन हेतु प्रतिबद्ध है। इस रोग को नियंत्रित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 41.40 लाख टीकाकरण किए गये हैं। **एफ0एम0डी0 मुक्त भारत** के अभियान को सफल बनाने हेतु इस आय–व्ययक में **रू0 5.80 करोड़** प्रस्तावित है।

38. राज्य में भ्रूण प्रत्यारोपण से अब तक 294 शुद्ध नस्ल की पशु संतति पैदा की गयी है जो कि देश में सर्वाधिक है। **'भारत स्वदेशी नस्ल' की शुद्ध आनुवांशिकता वाली गायों के संरक्षण व संवर्धन के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी के कार्य हेतु पशु प्रजनन फार्म कालसी में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है,** जो उत्तर भारत में शोध एवं प्रशिक्षण हेतु अपनी तरह का प्रथम उत्कृष्ट संस्थान होगा।

39. दुग्ध सहकारिता समितियों के माध्यम से अप्रैल 2018 में 1.95 लाख लीटर दुग्ध उपार्जन प्रतिदिन हुआ, जिसे अप्रैल 2019 तक लगभग 2.15 लाख लीटर किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2019–20 में लगभग 54 हजार दुग्ध उत्पादक सदस्यों को दुग्ध मूल्य के अतिरिक्त दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराये जाने हेतु **रू0 20.00 करोड़** की धनराशि का प्राविधान किया गया है, वहीं **महिला डेरी विकास योजना** अन्तर्गत **रू0 6.13 करोड़** एवं **गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना** अन्तर्गत **रू0 5.00 करोड़** की धनराशि का प्राविधान प्रस्तावित है। इससे हमारे राज्य की महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

40. पर्वतीय क्षेत्रों में वर्ष पर्यन्त पौष्टिक चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि एवं महिलाओं के श्रम एवं समय की बचत हेतु राज्य सरकार नई योजनाएं प्रस्तावित कर रही है। इसी क्रम में, वैक्यूम पैक्ड कार्न साइलेज उपलब्ध कराये जाने के लिए **साईलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना हेतु रू0 3.00 करोड़ एवं** पशुपालकों को पशुचारे के ढुलान में हो रहे परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए **पशुचारा परिवहन अनुदान योजना** हेतु **रू0** 5.00 करोड़ प्रस्तावित है। इन दोनों योजनाओं एवं एन0सी0डी0सी0 की दुग्ध समितियों की योजना से डेरी सेक्टर को काफी प्रोत्साहन मिलेगा।

41. भारत सरकार के मिशन ब्लू रिवोल्यूशन एवं उत्तराखण्ड सरकार की संकल्पना के आधार पर **वर्ष 2022 तक मत्स्य उत्पादन एवं मत्स्य पालकों की आय को दोगुना** किया जाना लक्षित है। वर्तमान में विभिन्न स्रोतों से **4578 मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन** किया जा रहा है, जिससे वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्त तक 4800 टन किया जाना लक्षित है। **वित्तीय वर्ष 2019–20** हेतु विभिन्न राज्य, केन्द्रपोषित एवं नाबार्ड पोषित योजनाओं में मात्स्यिकी विकास कार्यों हेतु कुल **रू0 44.27 करोड़** का प्राविधान प्रस्तावित है।

42. राज्य में व्यवसायिक रूप से ट्राउट फार्मिंग को प्रोत्साहित किये जाने के लिए कुल 96 ट्राउट रेसवेज यूनिट की स्थापना की गयी हैं और 154 रेसवेजों के निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान ट्राउट उत्पादन स्तर **50 मैट्रिक टन को 1000 मैट्रिक टन** तक पहुँचाया जायेगा जिससे प्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होगा।

43. रूरल इन्फ्रास्ट्रेक्चर डेवलेपमेन्ट फंड के अन्तर्गत ट्राउट हैचरी की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में धनराशि रू0 486.99 लाख के प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं। इससे ट्राउट उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा एवं रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

44. उन्नत किस्म के मत्स्य बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु 5 करोड़ की लागत से राज्य का **प्रथम ब्रूड बैंक** स्थापित किया गया है। वहीं नील क्रान्ति (ब्लू रिवोल्यूशन) योजना के माध्यम से मत्स्य आहार की मांग को पूर्ण किए जाने हेतु जनपद **देहरादून में एक ट्राउट फीड प्लान्ट** की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है।

**ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज :**

45. राज्य सरकार गाँवों के आधारभूत संरचनात्मक विकास एवं ग्राम स्तर पर रोजगार सृजन की दिशा में भी कार्य कर रही है। ग्रामीण इलाकों में मांग आधारित रोजगार एवं स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु **वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु मनरेगा अन्तर्गत रू0 282.00 करोड़ धनराशि का प्राविधान किया गया है।**

46. प्रत्येक परिवार को आवास की अवधारणा के अन्तर्गत **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** योजनान्तर्गत वर्तमान वर्ष में कुल 4775 आवासीय इकाई निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष माह नवम्बर, 2018 तक 3040 आवास निर्मित किये गये। शेष 1735 आवास माह मार्च, 2019 तक निर्मित कराये जायेंगे।

47. ग्रामीण इलाकों में संयोजकता के दृष्टिकोण से **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** मील का पत्थर सिद्ध हुई है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 में आतिथि तक **रू0 720.00 करोड़** व्यय कर 598 किमी0 लम्बे मार्गों पर निर्माण कार्य पूर्ण कर 250 से अधिक आबादी की 32 बसावटों को सम्पर्क प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु उक्त योजनान्तर्गत **रू0 900.00 करोड़** का प्राविधान किया गया है एवं इन **सड़कों के अनुरक्षण हेतु रू0 31.50 करोड़** प्रस्तावित है।

48. **दीन दयाल अन्तोदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** के अन्तर्गत योजना आरम्भ से माह नवम्बर, 2018 तक कुल 19450 स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं पुनर्गठन किया गया। 10975 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड एवं कुल 3086 समूहों को सामुदायिक निवेश फण्ड उपलब्ध कराया गया है।

49. समाज के कमजोर वर्गों हेतु आजीविका के अवसरों में वृद्धि करने व उनकी आजीविका में सुधार करने के लिए एकीकृत आजीविका सुधार परियोजना के अन्तर्गत **वाह्य सहायतित योजना आईफैड** संचालित है। इस योजना से ग्राम स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर सृजित हुए हैं एवं **रिवर्स माइग्रेशन** भी प्रोत्साहित हुआ है। इस योजनान्तर्गत आय–व्ययक में **रू0 175.00 करोड़** का प्राविधान प्रस्तावित है।

50. राज्य में चयनित 1374 ग्राम पंचायतों में सुनियोजित विकास हेतु नियोजन प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए वर्ष 2019–20 में 274 ग्राम पंचायत, वर्ष 2020–21 में 422 ग्राम पंचायत एवं 2021–22 शेष 678 ग्राम पंचायतों में आजीविका संवर्द्धन एवं सामाजिक विकास द्वारा गरीबी मुक्त किए जाने की दिशा में सरकार प्रयासरत है।

51. **प्लास्टिक राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अभिशाप बन चुका है। इसी क्रम में पंचायतों के लिये उत्तराखण्ड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति, 2017 प्रख्यापित**

**की जा चुकी है,** जिसके अन्तर्गत 1471 डी0पी0आर0 का निर्माण कराया जा चुका है। **डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना** के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में 7954 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 7602 प्लान अनुमोदित करते हुए 4719 प्लान अपलोड किये जा चुके हैं।

52. वित्तीय वर्ष 2019–20 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पंचायतीराज संस्थाओं के अन्तर्गत 13 जिला पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों एवं 7953 ग्राम पंचायतों हेतु कुल **रू0** 441.22 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है, जो कि वित्तीय वर्ष 2017–18 की तुलना में लगभग 34 प्रतिशत अधिक है।

53. 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पंचायतीराज संस्थाओं को मूल अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु कुल संस्तुत धनराशि **रू0** 376.19 करोड़ अवमुक्त की गई है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में **रू0** 508.31 करोड़ की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होनी सम्भावित है।

54. वित्तीय वर्ष 2019–20 में त्रिस्तरीय पंचायतों के सशक्तिकरण की दिशा में नवनिर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों के क्षमता विकास व प्रशिक्षण एवं ग्राम स्तर पर पंचायत भवन के निर्माण आदि के दृष्टिगत **'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' योजनान्तर्गत रू0 30.00 करोड़** का प्राविधान किया गया है।

55. ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत कुल **रू0 3141.34 करोड़** का प्राविधान इस आय–व्ययक में किया गया है।

**सिंचाई एवं पेयजल :**

56. राज्य सरकार असिंचित क्षेत्रों को सिंचित क्षेत्रों में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस हेतु नहरों के निर्माण अन्तर्गत **रू0 121.00 करोड़** का प्राविधान किया गया है।

57. पेयजल, जल संवर्द्धन एवं सिंचाई आदि हेतु **जनपद–देहरादून में सूर्याधार झील, जनपद–पिथौरागढ़ में थरकोट झील, जनपद–चम्पावत में कोलीढेक झील एवं जनपद–अल्मोड़ा में गगास नदी पर जलाशय** का निर्माण प्रारम्भ किया गया है। साथ ही, **कोसी, बिन्दाल एवं रिस्पना नदियों के पुनर्जीवीकरण** की दिशा में गम्भीर प्रयास किये जा रहे हैं।

58. देहरादून देश के मानचित्र में एक बड़े नगर के रूप में स्थापित हो रहा है। जनपद–देहरादून में आगामी 30 वर्षों से भी अधिक समय तक निर्बाध रूप से जलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिए सौंग बाँध पेयजल परियोजना हेतु विस्तृत

डी0पी0आर0 केन्द्रीय जल आयोग के अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी है। **सौंग नदी पर बाँध निर्माण एवं अवस्थापना कार्यों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 170.00 करोड़** की धनराशि प्रस्तावित है।

59. जनपद देहरादून में मालढूंग, चमोली में गैरसैंण, पौड़ी में लवाली व सतपुली में बाँध/जलाशय के निर्माण हेतु अध्ययन/सर्वे का कार्य स्वीकृत व प्रारम्भ किया गया है।

60. जनपद नैनीताल में **जमरानी बाँध बहुउद्देशीय परियोजना** के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एम0ओ0यू0 का संपादन किया जा चुका है एवं परियोजना की डी0पी0आर0 पुनरीक्षित कर केन्द्रीय जल आयोग के अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी है। राज्य सरकार प्रयासरत है कि उपरोक्त योजना को राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित कर, भारत सरकार से फंडिंग करायी जाये। इस योजना के निर्माण से राज्य के दूसरे बड़े महानगर एवं कुमाऊँ के प्रवेश द्वार **हल्द्वानी की पेयजल समस्या का समाधान हो जायेगा।**

61. अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु हरिपुरा एवं तुमरिया जलाशय पर 40 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु स्वीकृति निर्गत की गयी है। शीघ्र ही अन्य नहरों को भी सोलर पैनल से आच्छादित करने हेतु नई योजना लायी जायेगी।

62. केदारनाथ धाम स्थित केदारपुरी की मंदाकिनी नदी से सुरक्षा हेतु **रू0** 56.77 करोड़ लागत से पुनर्निर्माण का कार्य अत्यन्त दुष्कर परिस्थितियों के होते हुए भी पूर्ण किया गया है।

63. मुझे सदन को यह बताते हुए यह अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वाह्य सहायतित परियोजना के माध्यम से पेयजल सैक्टर में वित्त पोषण का प्रयास करते हुए **35 अर्द्धनगरीय क्षेत्रों** (Peri-urban) हेतु **रू0 975.00 करोड** अनुमानित लागत की **विश्व बैंक सहायतित परियोजना** स्वीकृत कराई गयी है। इस योजना की डी0पी0आर0 इत्यादि का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

64. इसी प्रकार, राज्य के समस्त नगरीय क्षेत्रों को सीवरेज व्यवस्था से आच्छादित किये जाने के प्रयासों के अन्तर्गत हरिद्वार एवं ऋषिकेश में जलोत्सारण सुविधा के पूर्ण **आच्छादन हेतु रू0 1150.00 करोड़ की वाह्य सहायतित परियोजना के प्रस्ताव पर जर्मनी की वित्तीय संस्था के0एफ0डब्लू0, भारत सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अनुबन्ध निष्पादित हो गया है।**

65. पर्वतीय क्षेत्रों में जनसामान्य को पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड पोषित अनेक योजनाओं जैसे–जनपद टिहरी के अन्तर्गत अकरी बारजुला पम्पिंग पेयजल योजना, जनपद पौड़ी के अन्तर्गत चिनवाड़ी डांडा एवं भैरवगढ़ी पेयजल योजना, जनपद चमोली के अन्तर्गत ग्वालदम पेयजल योजना, जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत किशनपुर पम्पिंग पेयजल योजना, जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चांदीखेत पम्पिंग पेयजल योजना, शक्तिपीठ पेयजल योजना, रतखाल सिमस्टाना पेयजल योजना एवं कोसी बैराज से मटेला पेयजल योजना, जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत गरूड़ पेयजल योजना एवं जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चौकड़ी–उडियारी पेयजल योजना संचालित की जा रही हैं। आगामी वर्षों में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित निर्माणधीन योजनाओं के सापेक्ष कुल 1175 बस्तियों को लाभान्वित किया जा सकेगा। इस क्रम में नाबार्ड के अन्तर्गत **रू0 180 करोड़ एवं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु रू0 109.40 करोड़** का प्राविधान इस आय–व्ययक में किया गया है।

66. जनसामान्य को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के दृष्टिगत नगरीय पेयजल एवं जलोत्सारण के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि से 16 नलकूपों का निर्माण कर 19 एम0एल0डी0 जल वृद्धि प्राप्त की गयी तथा 20 एम0एल0डी0 सीवेज शोधन क्षमता में वृद्धि की गयी है। इसके अतिरिक्त 100 आयरन रिमूवल किटों का अधिष्ठापन एवं 784 अस्थाई खराब हैण्डपम्पों के मरम्मत का कार्य पूर्ण कर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। देहरादून सीवेज हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 21.46 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

67. **वर्ष 2019–20 राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150 वीं जयन्ती मनाने का वर्ष है।** बापू के आदर्श "Cleanliness is next to Godliness" अर्थात स्वच्छता देवत्व के निकटतम है, का अनुकरण करते हुए स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्प है। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड के सभी गाँवों को प्लास्टिक मुक्त बनाने का निर्णय लिया गया है। सरकार के अथक प्रयासों से लक्षित तिथि से काफी पूर्व 'खुले में शौच की प्रथा से मुक्त' (ODF) घोषित होने से राज्य को यह लाभ हुआ कि केन्द्र पोषित 'राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम' के अन्तर्गत नई योजनाओं की स्वीकृति पर विगत तीन वर्षों से चला आ रहा प्रतिबन्ध समाप्त हो चुका है और (ODF) घोषित ग्रामों के सम्बन्ध में नई पेयजल योजनाओं की स्वीकृति प्रारम्भ कर दी गयी है। स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत इस आय–व्ययक में **रू0 202.00 करोड़** का प्राविधान किया गया है।

68. **नमामि गंगे योजना** के माध्यम से गंगा व उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में एक अभूतपूर्व पहल हेतु मैं भारत सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। राज्य सरकार गंगा नदी की मुख्य धारा में अपरिशोधित सीवर अथवा अन्य प्रदूषित जल के प्रवेश पर पूर्ण रोक लगा देने हेतु प्रतिबद्ध है। गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे स्थित 15 नगरों में पूर्व निर्मित एस0टी0पी0 के उच्चीकरण, नवीन एस0टी0पी0 के निर्माण तथा गंदे नालों के एस0टी0पी0 में डाइवर्जन से संबंधित **19 परियोजनाओं हेतु रू0 945.21 करोड़ तथा विभिन्न स्थानों पर 21 स्नानघाट एवं 21 शमशानघाट के निर्माण हेतु रू0 171.45 करोड़** स्वीकृत किये गये हैं।

69. राज्य के समस्याग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक पेयजल योजनाओं के **वित्त पोषण हेतु रू0 1000 करोड़ लागत तथा नगरीय बस्तियों के लिए भी रू0 1000 करोड़** लागत की वाह्य सहायतित परियोजनाओं का प्रस्ताव भारत सरकार की सहमति हेतु प्रेषित किया गया है।

70. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन एक जटिल कार्य है। राज्य सरकार ग्रामीण बस्तियों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की योजना क्रियान्वित करने हेतु तत्पर है। इसके अन्तर्गत इस वर्ष 2487 ग्राम पंचायतों में कार्य कराने के लक्ष्य के सापेक्ष 2220 ग्राम पंचायतों की डी0पी0आर0 स्वीकृत कर दी गयी है, जिनमें से 129 ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्ण हो गया है तथा शेष ग्राम पंचायतों में कार्य प्रगति पर है।

71. सूखे जलस्रोतों का पुनर्जीवीकरण के लिए स्वजल परियोजना के अन्तर्गत जल स्रोतों से सम्बन्धित आंकड़े एवं उनके Geo Tagged फोटोग्राफ अपलोड करने आदि कार्यों हेतु वेब पोर्टल विकसित किया गया है। वर्तमान में लगभग 4494 स्रोतों की मैपिंग एवं Geo Tagging की जा चुकी है। पिछले बजट भाषण में मैंने **वर्ष 2022 तक 5000 समस्याग्रस्त प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित/संवर्द्धित करने के लक्ष्य का उल्लेख किया था। इस संबंध में रू0 250.00 करोड़ लागत की परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया गया है,** जिसे केन्द्र पोषित योजना के रूप में स्वीकार करने हेतु शीघ्र भारत सरकार/नीति आयोग को भेजा जाना प्रस्तावित है।

72. पेयजल विभाग के अन्तर्गत कुल **रू0 997.44 करोड़** का प्राविधान किया गया है।

वन एवं पर्यावरण :

73. **"जहाँ हरियाली वहाँ खुशहाली की विचारधारा के अनुरूप"** वित्तीय वर्ष 2018–19 में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 18382.90 हे0 क्षेत्र में 161.94 लाख पौधे रोपित किये जा चुके हैं। बहुद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों के संरक्षण हेतु **रू0 41.21 करोड़** की धनराशि प्रस्तावित है।

74. वर्षा जल संरक्षण कार्य के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत माह अप्रैल 2018 से अब तक **कैम्पा योजना** में जल संरक्षण कार्य के क्षेत्र में 1948 जलकुण्ड, 2217 चैकडेम तथा 1235 हे0 वन कन्टूर एवं 700 चाल–खाल का निर्माण किया गया है। **कैम्पा निधि के अन्तर्गत प्रथम बार कुल रू0 228.00 करोड़ का प्राविधान इस आय–व्ययक में किया गया है।**

75. **वनाग्नि सुरक्षा एवं प्रबन्धन कार्य की दृष्टि वित्तीय वर्ष 2018–19 में एक नई योजना "सिविल/सोयम एवं पंचायती वनों की अग्नि से सुरक्षा"** प्रारम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत वन पंचायतों/महिला मंगल दलों का पंचायती वनों में अग्नि से निपटने के लिये सहयोग लिया गया। मुख्यालय, देहरादून में Information Technology & Geo-information Center (ITGC) स्थापित किया गया है, जिसके द्वारा अग्नि दुर्घटनाओं की समीक्षा व अनुश्रवण का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी, जी0आई0एस0 एवं सोशियल मीडिया तथा **भुवन पोर्टल** का उपयोग कर किया जा रहा है। जंगलों की आग कम समय में काबू करने और आग की बड़ी घटनाओं की निरंतर निगरानी के लिए फायर एलर्ट सिस्टम (फास्ट) का नया वर्जन 3.0 लाँच किया गया है। **वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक में वनाग्नि से सुरक्षा हेतु कुल रू0 21.31 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है।**

76. उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजनान्तर्गत 08 वर्ष की परियोजना अवधि में कुल 750 चयनित वन पंचायतों के माध्यम से अवनत वनों की दशा में सुधार, आजीविका सुधार तथा सामुदायिक विकास संबंधी विभिन्न कार्य चरणबद्ध तरीके से कराये जा रहे हैं। वर्ष 2018–19 तक 45 लाख पौधों का रोपण तथा लगभग 40 करोड़ लीटर जल संरक्षण क्षमता की संरचनाएं वन पंचायतों द्वारा स्वयं बनायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में भी **लगभग 30 करोड़ लीटर जल संचय के कार्य** तथा **30 लाख पौधों का रोपण** प्रस्तावित है। परियोजना क्षेत्र में कागजी अखरोट के विकास को भी वन पंचायतों में रह रहे लोगों की आजीविका संवर्द्धन से जोड़ा जा रहा है। परियोजना अवधि में लगभग 01 लाख उन्नत किस्म के अखरोट की पौध ग्रामीणों को वितरित कर अखरोट के क्लस्टरों के विकास हेतु

आई0सी0ए0आर0 से अनुबन्ध किया गया है। **वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु जायका परियोजना के अन्तर्गत रू0 100.00 करोड़** के बजट का प्राविधान किया गया है।

77. वन एवं पर्यावरण विभागान्तर्गत कुल **धनराशि रू0 1036.46 करोड़ प्रस्तावित है।**

**समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास :**

78. राज्य सरकार **"सबका–साथ सबका–विकास"** की अवधारणा के अन्तर्गत निरन्तर कार्य कर रही है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं, दिव्यांगों आदि को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु लगभग **रू0 326.00 करोड़** की धनराशि का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार राज्य सरकार ने वृद्ध, विकलांग एवं विधवा पेंशन हेतु विभिन्न मदों में भी समुचित प्राविधान किया गया है।

79. गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी **'प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना'** के अन्तर्गत 63098 महिलाओं को लाभान्वित किया गया हैं।

80. किशोरियों के व्यक्तित्व के विकास हेतु प्रशिक्षण तथा पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा **किशोरी बालिका योजना** संचालित की गयी है। इस योजना हेतु इस आय–व्ययक में **रू0 15.00 करोड़** की धनराशि प्रस्तावित है।

81. सरकार आगामी वर्षों में **350 अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना** हेतु प्रतिबद्ध है। इस आय–व्ययक में एक नई योजना **"मुख्यमंत्री आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण एवं उच्चीकरण योजना" हेतु रू0 7.00 करोड़** का प्राविधान प्रस्तावित है।

82. आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की कार्य क्षमता बढ़ाने एवं बच्चों के बेहतर अनुश्रवण हेतु पोषण अभियान के तहत प्रथम चरण में चार जनपदों हेतु स्मार्ट फोन क्रय किये जा चुके है। शीघ्र ही चमोली, उत्तरकाशी, हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर की आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराये जायेंगे।

83. **मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना** के अन्तर्गत अभी तक अतिकुपोषित बच्चों को **"ऊर्जा सामग्री"** प्रदान की जाती थी, जिसे अब **कुपोषित बच्चों को भी उपलब्ध कराया जायेगा।** इस योजना हेतु इस आय–व्ययक में **रू0 10.00 करोड़** का प्राविधान किया गया है जो गतवर्ष के **प्राविधान रू0 2.00 करोड़** से **5 गुना** अधिक है। इसी क्रम में बच्चों के स्वास्थ्यवर्द्धन हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने

वाले 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को सप्ताह में दो दिन दूध उपलब्ध कराये जाने के लिए एक नई योजना **'मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना'** प्रारम्भ की जा रही है। इस आय–व्ययक में **रू0 10.00 करोड़** का प्राविधान किया गया है।

84. **'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना'** के अन्तर्गत बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत 307 बालिकाओं को टैबलेट का वितरण किया गया। जनजागरूकता के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लग सके। इस क्रम में **नंदा–गौरा योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 75.00 करोड़ प्रस्तावित है।**

85. कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार सजग है। जनपद हरिद्वार में कामकाजी महिला छात्रावास भवन का कार्य पूर्ण हो गया है एवं जनपद देहरादून में कामकाजी महिला छात्रावास भवन का निर्माण अंतिम चरण में है।

86. भारतीय सेना एवं अर्द्ध सैनिक बलों के शहीद सैनिकों के आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजन का निर्णय लिया गया।

87. विभाग राज्य के बालक–बालिकाओं व महिलाओं के पोषण, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन आदि हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयासरत है। राज्य के 19940 आंगनवाड़ी केन्द्रों में 754036 लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार देकर लाभान्वित किया जा रहा है।

88. **महिला सशक्तिकरण एवं बाल कल्याण हेतु लगभग रू0 1111.00 करोड़** का प्राविधान प्रस्तावित है।

**चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा :**

89. **"आरोग्यं परमं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थसाधनम्"**
**(निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से सभी कार्य सिद्ध होते हैं)।**

राज्य के समस्त परिवारों को बेहतर चिकित्सा उपचार प्रदान करने एवं स्वास्थ्य पर होने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करने के लिये सरकार द्वारा केन्द्र द्वारा संचालित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना की तर्ज पर **अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना लागू की गयी है।** इस योजना से राज्य के समस्त 23 लाख परिवारों को **रू0** 5 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रति परिवार प्रतिवर्ष प्राप्त होगी। इस योजनान्तर्गत 10 लाख लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाये जा चुके हैं तथा राजकीय एवं निजी चिकित्सालय सूचीबद्ध किये गये हैं। उक्त

योजना हेतु **रू0 150.00 करोड़** की धनराशि का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2019–20 में किया गया है।

90. राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से **425 नये चिकित्सकों का चयन किया गया है** जिसके सापेक्ष 365 चिकित्सकों द्वारा राज्य के विभिन्न अस्पतालों में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है एवं सरकारी मेडिकल कॉलेजों से **उत्तीर्ण कुल 412 बाण्डधारी चिकित्सकों की भी तैनाती कर** दी गयी है।

91. जनता को रक्त की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य के प्रत्येक जनपद स्तर पर रक्त कोष स्थापित कर दिये गये हैं एवं इस योजना को सरल बनाने के लिए सभी रक्त कोष **ई–रक्त कोष** बना दिये गये हैं। **यह राज्य सरकार की विजन 2020 के अन्तर्गत समय से पूर्व प्राप्त की गयी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।**

92. चिकित्सालयों में औषधियों की निरन्तर आपूर्ति एवं उपलब्धता बनाये रखने हेतु **"ई–औषधि योजना"** का प्रारम्भ किया गया है तथा जनमानस स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 61 **'108 एम्बुलेंस'** प्रतिस्थापित, एवं 78 एम्बुलेंस क्रय कर ली गयी हैं।

93. राज्य सरकार द्वारा चिकित्सालयों में रोगियों को प्राप्त होने वाले उपचार एवं जनशिकायतों की सतत निगरानी हेतु प्रमुख चिकित्सालयों में **सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाते हुए सीएम डैश बोर्ड से ऑनलाइन जोड़ा गया हैं** जिसके फलस्वरूप चिकित्सा सेवाओं की निरन्तर निगरानी होगी और स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणात्मक सुधार परिलक्षित होगा।

94. चिकित्सा सुविधा को और अधिक बेहतर बनाने की दिशा में सरकार द्वारा 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय खटीमा, ऊधमसिंह नगर, महिला बेस चिकित्सालय हल्द्वानी व गांधी नेत्र चिकित्सालय देहरादून का लोकार्पण किया गया है एवं पं0 दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय (कोरोनेशन) को 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय में एन0एच0एम0 के माध्यम से उच्चीकृत किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। औषधि एवं खाद्य विश्लेषणशाला रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर का निर्माण कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है।

95. इसी कड़ी में, जनपद देहरादून के **डोईवाला में उप जिला चिकित्सालय के** निर्माण हेतु धनराशि **रू0 10.00 करोड़** एवं **मानसिक चिकित्सालय सेलाकुई** के सुदृढ़ीकरण हेतु **रू0 10.00 करोड़** का प्राविधान किया गया हैं।

96. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर 330 उपकेन्द्रों को हैल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में उच्चीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

97. **राज्य के 02 चिकित्सालयों – पं0 दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय देहरादून तथा बेस चिकित्सालय हल्द्वानी में पी0पी0पी0 मोड पर डायलेसिस सेंटर का संचालन किया जा रहा है।** राज्य के 03 अन्य जनपदों ऊधमसिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल में पी0पी0पी0 मोड तथा 04 जनपदों अल्मोड़ा, रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ एवं पौड़ी गढ़वाल में राज्य द्वारा संचालित डायलेसिस सेंटर की स्थापना का कार्य गतिमान है। **बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा में डायलेसिस सेंटर की स्थापना की जा चुकी है।**

98. राज्य में शिशु मृत्यु दर को वर्ष 2019–20 तक 36 प्रति हजार, वर्ष 2023–24 तक 29 प्रति हजार एवं मातृ मृत्यु दर मे कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव दर को वर्ष 2019–20 तक 76 प्रतिशत तथा वर्ष 2023–24 तक 92 प्रतिशत व धात्री महिलाओं की सुरक्षा जाँच को प्रत्येक दशा में वर्ष 2023–24 तक 83 प्रतिशत एवं 2030 तक शत–प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा गया है। **सरकार द्वारा राज्य के 35 प्रमुख चिकित्सालयों पर मरीजों के जांच एवं डायग्नोस्टिक सुविधा को त्वरित बनाने के लिए टेली रेडियोलॉजी सेवा प्रारम्भ की गयी है** एवं राज्य के सभी प्रमुख चिकित्सालयों में ऑनलाइन रोगी रजिस्ट्रेशन सुविधा भी उपलब्ध कराई गयी है।

99. उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ीकरण हेतु विश्व बैंक सहायतित 125 मिलियन डालर (अनुमानित 800 करोड़ रूपया) की उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है, जिस हेतु इस आय–व्ययक में **रू0 76.00 करोड़** का प्राविधान किया गया है।

100. **दृष्टि पत्र–2019 के लक्ष्य के अनुसार** वर्तमान में संचालित मेडिकल कॉलेजों को सुविधा सम्पन्न बनाने एवं जनसामान्य को उच्च कोटि की चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार निरन्तर कार्य कर रही है। **अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के शैक्षणिक सत्र 2019–20 से प्रारम्भ करने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है।** राज्य में सेवायोजन के अवसर उपलब्ध कराने हेतु नर्सिंग क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज देहरादून के अतिरिक्त 6 नर्सिंग कॉलेज को समेकित मॉडल में प्रारम्भ किये जाने के प्रयास जारी है। **वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों की स्थापना के अन्तर्गत रू0 119.33 करोड़, अल्मोड़ा**

**मेडिकल कॉलेज हेतु रू0 76.85 करोड़, एवं दून मेडिकल कॉलेज हेतु रू0 85.65 करोड़ का प्राविधान किया गया है।**

101. स्वास्थ्य क्षेत्र में अवस्थापना एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु भारत सरकार की फ्लेगशिप योजना **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत रू0 440 करोड़** का प्राविधान इस आय–व्यय में किया गया है।

102. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत इस **आय–व्ययक में रू0 2545.40 करोड़** का प्राविधान किया गया है।

**विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा :**

103. शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता परक शिक्षा को प्रोत्साहन राज्य सरकार की वचनबद्धता है। विभिन्न कक्षाओं के Learning Outcome को 62 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2023–24 तक 80 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य है।

104. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने एवं आधारभूत संरचना के सृजन हेतु भारत सरकार की योजनाओं यथा–सर्वशिक्षा, रमसा एवं अध्यापक प्रशिक्षण को एकीकृत करते हुए **'समग्र शिक्षा'** के नाम से योजना प्रारम्भ की गयी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के **आय–व्ययक में रू0 1073.00 करोड़** की धनराशि प्रस्तावित है।

105. राज्य में पहली बार समस्त राजकीय सहायता प्राप्त व सी0बी0एस0ई0 से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 01 से 12 तक एन0सी0ई0आर0टी की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य कर दी गयी हैं एवं पाठ्य पुस्तकों की धनराशि छात्र–छात्राओं के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तगत की जा रही है। **विद्यार्थियों को शिक्षा सामग्री एवं निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के दृष्टिगत इस आय–व्ययक में रू0 16.35 करोड़** की व्यवस्था की गयी है।

106. प्राथमिक विद्यालयों के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु रू0 7.00 करोड़ एवं माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण आदि हेतु रू0 10.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

107. **नाबार्ड योजनान्तर्गत विद्यालयों एवं छात्रावासों के निर्माण हेतु रू0 20.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।**

108. सरकार ने संकल्प लिया है कि प्रत्येक विद्यालय में छात्रों को अध्ययन हेतु फर्नीचर उपलब्ध हो। इसके दृष्टिगत राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक

विद्यालयों हेतु रू0 12.00 करोड़ एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों हेतु रू0 5.00 करोड़ की धनराशि वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु प्रस्तावित है।

109. सरकार विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के प्रति भी सजग है। सरकार का प्रयास है कि छात्रों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो। छात्रों को पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद देहरादून हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर तथा नैनीताल में अक्षय पात्र संस्था द्वारा केन्द्रीयकृत किचन प्रणाली के निर्माण की कार्यवाही गतिमान है। **प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम अन्तर्गत रू0 186.00 करोड़ की धनराशि का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु किया गया है।**

110. **प्राथमिक स्तर पर 426 सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती के माध्यम से राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सेवायोजित किया गया।** आदर्श विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति के लिये अलग चयन प्रक्रिया अपनायी गयी है। अधिकांश विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। रिक्त होने वाले पदों पर समय–समय पर नियुक्ति की प्रक्रिया जनपद स्तर से की जा रही है।

111. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, आत्मविश्वास में वृद्धि एवं स्कूलों तक उनकी सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित किए जाने हेतु **बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना हेतु रू0 16.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।**

112. वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए प्रत्येक शनिवार समस्त राजकीय विद्यालयों में English Speaking Day के रूप में मनाया जा रहा है। राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं में पढ़ने की आदतों के विकास के लिये जनसहयोग से पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु बुक डोनेशन अभियान प्रारम्भ किया गया है। **इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा 9374 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों तथा 2318 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये पुस्तकालय विकास हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।**

113. सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में यथासम्भव प्रयोगशाला, खेल मैदान एवं ऑडिटोरियम का निर्माण किया जायेगा।

114. सैन्य परम्परा के ध्वज वाहक उत्तराखण्ड के वीर सपूतों को एन0सी0सी0 का प्रशिक्षण देने व सेना के प्रति आकर्षण में अभिवृद्धि हेतु **एन0सी0सी0 अकादमी** की स्थापना की जायेगी।

115. प्रदेश के युवाओं का कौशल विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है, इस हेतु नाबार्ड के अन्तर्गत 19 पॉलिटेक्निक संस्थाओं में निर्माण कार्य चल रहा है।

**सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक समस्त स्वीकृत पॉलिटेक्निकों का निर्माण कर लिया जायेगा।**

116. विश्व बैंक सहायतित तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम फेज–3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय एवं अन्य चयनित तकनीकी संस्थानों का सुदृढ़ीकरण तथा शैक्षिक अनुसंधान के कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं, जिससे इन संस्थानों को **सेंटर आफ एक्सीलेंस** के रूप में विकसित किया जा सकेगा।

117. पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार में माह नवम्बर, 2018 में उच्च शिक्षा विभाग एवं पतंजलि विश्वविद्यालय के सहयोग से **ज्ञान कुम्भ–2018** का सफल आयोजन किया गया है।

118. रूसा परियोजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में द्वितीय चरण के अन्तर्गत 18 राजकीय महाविद्यालय, 02 अशासकीय महाविद्यालय तथा 03 राज्य विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है। उक्त के अतिरिक्त जनपद पौड़ी में 01 व्यवसायिक महाविद्यालय तथा जनपद हरिद्वार में 01 मॉडल कॉलेज की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा रूसा के अन्तर्गत सहमति प्रदान की गयी है। सरकार राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु गंभीर है। सरकार का लक्ष्य है कि **वर्ष 2022 तक राज्य के सभी महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण कर लिया जायेगा।** रूसा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय/शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु इस आय–व्ययक में **रू0 20.00 करोड़** एवं राज्य सेक्टर के अन्तर्गत **रू0 18.00 करोड़** का प्राविधान किया गया है।

119. महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों हेतु **ई–सेवा पुस्तिका** का ऑनलाइन आरम्भ किया गया है। राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को **स्मार्ट कैम्पस** के रूप में विकसित करने हेतु **वाई–फाई जोन की स्थापना** के लिए प्रस्तावित आय–व्ययक में **रू0 2.00 करोड़** का प्राविधान किया गया है।

120. विभाग द्वारा सुदूर/सीमावर्ती 46 महाविद्यालयों को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अध्ययन की सुविधा, छात्र–छात्राओं के लिए निःशुल्क बीमा योजना आदि उपलब्धियाँ अर्जित की गई है। दून विश्वविद्यालय परिसर देहरादून में **डॉ0 नित्यानन्द स्वामी शोध संस्थान** की स्थापना की जायेगी। इस हेतु दून विश्वविद्यालय के लिए पूँजीगत मद में **रू0 12.00 करोड़ एवं राज्य में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु रू0 5.00 करोड़** का प्राविधान इस आय–व्ययक में किया गया है।

121. आय–व्ययक वर्ष 2019–20 में विद्यालयी शिक्षा हेतु **रू0 7642.63 करोड़** एवं उच्च शिक्षा विभाग हेतु **रू0 548.37 करोड़** का प्राविधान किया गया है।

**श्रम, कौशल विकास एवं सेवायोजन :**

122. राज्य सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि अर्थव्यवस्था में प्रगति का लाभ असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी प्राप्त होना चाहिए। यह हमारा सौभाग्य है कि केन्द्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों के लिए जिनकी मासिक आय 15 हजार या उससे कम है **'प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–धन'** पेंशन योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना का लाभ राज्य के कामगारों को भी प्राप्त होगा।

123. भारत सरकार के इज ऑफ डूइंग बिजनेस योजना के अन्तर्गत The Factory Act, 1984, The Boilers Act 1923, The Building and Other Construction workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 आदि अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकरण/नवीनीकरण का कार्य पूर्णतया ऑन लाइन के माध्यम से शुरू किया गया है। विभागीय वेबसाइट को उद्योग विभाग के सिंगल विंडो सिस्टम से भी जोड़ दिया गया है।

124. शिशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत राज्य के कुल 493 अधिष्ठानों को केन्द्र सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत कर 5816 चिन्हित सीटों के सापेक्ष 2303 शिशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

125. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के स्टेट कम्पोनेन्ट में देश का पहला प्रशिक्षण केन्द्र उत्तराखण्ड राज्य में प्रारम्भ किया गया है। कृषि, टूरिज्म, अपेरल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के क्षेत्रों में 483 बैच जनपद टिहरी, पौड़ी उत्तरकाशी, नैनीताल, चम्पावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर, देहरादून एवं हरिद्वार में संचालित किये गये हैं जिनके माध्यम से 8848 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा **1738 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।**

126. राज्य के युवाओं के कौशल विकास हेतु **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं राज्य कौशल विकास योजना के अन्तर्गत कुल रू0 67.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।**

127. उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति द्वारा ई0पी0एल0एस0टी0पी0 योजना के माध्यम से 487 युवाओं को सी0सी0टी0वी0 इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन व जूनियर इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन प्रोसेस कन्ट्रोल आदि जॉब रोल में प्रशिक्षण प्रदान किया गया **तथा 153 युवाओं को सफलतापूर्वक रोजगार के अवसर प्रदान किये गये है।**

128. वर्ष 2018–19 में आतिथि तक 79 रोजगार मेलों का आयोजन किया जा चुका है जिनके द्वारा 2268 अभ्यर्थियों को रोजगार/प्रशिक्षण हेतु चयनित किया गया एवं 16 शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र द्वारा 1013 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

129. राज्य में कौशल विकास प्रशिक्षण के संस्थागत ढ़ांचे को सुदृढ़ करने तथा महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों की कौशल विकास प्रशिक्षण में भागीदारी की वृद्धि के लिए एक नई योजना **'संकल्प'** हेतु **रू0 3.86 करोड़ का प्राविधान किया गया** है। इसी प्रकार विभिन्न संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं प्रशिक्षणार्थियों हेतु **स्ट्राईव योजना** प्रारम्भ की जा रही है।

130. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता सुधारने तथा औद्योगिक आस्थानों की मांग के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से **92.5 मिलियन डॉलर (अनुमानित 600 करोड़ रूपया) की पाँच वर्षीय (2018–2023) उत्तराखण्ड वर्कफोर्स डेवलपमेन्ट परियोजना प्रारम्भ की गई है।** उक्त योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन के माध्यम से NSQF मानकानुसार लघु प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से **पांच वर्षों में 32000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।**

131. युवा विद्यार्थियों के नये दृष्टिकोण व कौशल से विभिन्न विभागों की कार्य क्षमता बढ़ाये जाने तथा ऐसे विद्यार्थी को विभागीय कार्यों से रूबरू कराने हेतु **"अन्तःशिक्षुता" नीति 2019** के तहत चयनित अन्तःशिक्षु को रू0 5000 प्रतिमाह एक टोकन वृत्तिका मासिक रूप से भुगतान किया जायेगा।

132. विभिन्न युवा पेशेवरों को सरकारी/गैर सरकारी सेवाओं के अन्तर्गत निष्पादित किये जाने वाले कार्यों के ज्ञान तथा उनके तकनीकी कुशलता के संवर्द्धन हेतु उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत ग्यारह माह के लिए **"युवा पेशेवर नीति"** अभिकल्पित की गई है। इसके अन्तर्गत युवा पेशेवर को 15000 प्रतिमाह एक टोकन वृत्तिका मासिक रूप से भुगतान किया जायेगा।

133. श्रम एवं सेवायोजन के अन्तर्गत कुल **रू0 394.54 करोड़ का प्राविधान किया गया है।**

**पर्यटन, कला एवं संस्कृति :**

134. **पर्यटन को सेवा क्षेत्र में उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। पर्यटन नीति 2018 अधिसूचित कर दी गयी है।** उत्तराखण्ड पर्यटन नीति हेतु इस आय–**व्ययक में**

**रू0 5.00 करोड़** प्रस्तावित हैं। **"तेरह डिस्ट्रिक्ट तेरह न्यू डेस्टिनेशन" हेतु कन्सेप्ट प्लान, सर्वे/फिजिबिलिटी स्टडी का कार्य गतिमान है** जिसके अन्तर्गत आगामी वर्ष में भी **थीम बेस्ड न्यू डेस्टिनेशंस** में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार पर्यटन क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण आदि हेतु **वाह्य सहायतित योजना के अन्तर्गत इस आय–व्ययक में रू0 70.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।**

135. श्री केदारनाथ धाम क्षेत्र में पुनर्निर्माण कार्यों हेतु **"श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट"** की स्थापना की गयी है।

136. साहसिक पर्यटन गतिविधियों को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित रूप से संचालित किये जाने के उद्देश्य से **उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग (संशोधन) नियमावली 2018 तथा उत्तराखण्ड फुट लाँच एयरो स्पोर्ट (पैराग्लाइडिंग) नियमावली 2018 प्रख्यापित की गयी है।**

137. राज्य में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत पर्यटन विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं पर्यटन सर्किट जैसे जानकीचट्टी–बड़कोट–हनुमानचट्टी–बर्नीघाट–नौगांव (उत्तरकाशी) आदि हेतु **रू0 46.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है।**

138. **स्वरोजगार को बढ़ावा देने एवं पर्यटन विकसित करने हेतु सरकार का 5 हजार होम स्टे का लक्ष्य है। होम स्टे को घरेलू दरों पर बिजली प्रदान की जा रही है।** स्थानीय व्यक्तियों को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु **दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना के अन्तर्गत रू0 11.50 करोड़** तथा **वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना** के अन्तर्गत **रू0 15.00 करोड़** का प्राविधान इस आय–व्ययक में किया गया है।

139. पर्यटकों एवं यात्रियों के लिये विभिन्न आवश्यक सूचनाओं से युक्त **उत्तराखण्ड मोबाइल टूरिज्म एप** की शुरूआत की गयी है। वर्तमान में **सुरकण्डा देवी तथा पूर्णागिरि देवी मंदिर हेतु रोपवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है।** इसके साथ ही, **देहरादून से मसूरी, कालाढुंगी/रानीबाग से नैनीताल तथा गौरीकुण्ड से केदारनाथ तक** रोपवे निर्माण से सम्बन्धित कार्यवाही विभिन्न चरणों में गतिमान है।

140. भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय के स्तर से **'प्रसाद'** योजनान्तर्गत गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम के पर्यटन विकास हेतु कन्सेप्ट प्लान पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी है, जिस पर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

141. **इन्वेस्टर समिट–2018 में पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों में पूँजी निवेश हेतु रू0 15388 करोड़ के 150 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित** किये गये हैं। रू0 186.67 करोड़ की 32 पर्यटन योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जबकि रू0 9504.10 करोड़ की 85 योजनाओं पर कार्य आरम्भ करवाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है। इस निवेश से नये उत्पाद विकसित होंगे, पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी एवं रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

142. पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2018–19 में जिला प्रशासन के सहयोग से टिहरी लेक फेस्टीवल, विन्टर कार्निवल मसूरी/नैनीताल, अल्मोड़ा महोत्सव, ट्रैक ऑफ द ईयर–नामिक ग्लेशियर आदि के आयोजन किये गये एवं ऋषिकेश में अन्तर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित किया गया तथा 13 से 15 फरवरी 2019 में **ऋषिकेश में PATA** का आयोजन किया जा रहा है, जिससे उत्तराखण्ड में विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। वर्ष 2018 में भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय के एक अध्ययन के अनुसार **ऋषिकेश को एड्वेन्चर कैपिटल ऑफ इंडिया** घोषित किया गया है।

143. पर्यटन विभाग द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गढ़वाल मण्डल में 12 तथा कुमांऊ मण्डल में 12 शक्तिपीठों को सर्किट के रूप में विकसित किये जाने एवं प्रचार–प्रसार के माध्यम से प्रचारित करने का कार्य किया जा रहा है।

144. आई0डी0पी0एल0 ऋषिकेश भूमि में एक विश्व स्तरीय Wellness City & Convention Centre हेतु भारत सरकार द्वारा 633 एकड़ भूमि को लीज समाप्ति हेतु सहमति प्राप्त की गई। उक्त स्थल का टोपोग्राफिकल सर्वे (भौगोलिक सर्वेक्षण) पूर्ण कर लिया गया है।

145. राज्य सरकार के प्रयासों से चारधाम यात्रा हेतु **वर्ष 2018 में 27.81 लाख श्रद्धालुओं** का आगमन हुआ, जिसमें से **7.32 लाख** श्रद्धालुओं द्वारा केदारनाथ के दर्शन किये जो कि एक रिकॉर्ड है।

146. उत्तराखण्ड की संस्कृति एवं परम्पराओं के संरक्षण तथा प्रसार प्रचार हेतु लोक संग्रहालयों का निर्माण किया जा रहा है। पौड़ी में लोक संग्रहालय का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा बागेश्वर, चम्पावत तथा रूद्रपुर में निर्माणाधीन प्रेक्षागृहों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

147. **हिमालयन संस्कृति केन्द्र** देहरादून का कार्य प्रगति पर है। यह उत्तराखण्ड की संस्कृति को विश्वपटल पर स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। **इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए रू0 16.40 करोड़ प्रस्तावित है।**

**परिवहन एवं नागरिक उड्डयन विभाग :**

148. हमारा यह विश्वास है कि परिवहन प्रदेश के विकास एवं समृद्धि का आधार है। सड़क सुरक्षा के कार्यों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हेतु सड़क सुरक्षा कोष की व्यवस्था के साथ–साथ राज्य की सड़कों को सुरक्षित बनाये जाने और वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से **राज्य सड़क सुरक्षा नीति** प्रख्यापित की गयी है। परिवहन, पुलिस एवं लोक निर्माण विभाग में इस हेतु कुल **रू0** 14.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

149. **राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु वर्ष 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं को 2016–17 के स्तर से आधा करने का सरकार का लक्ष्य है।** प्रभावी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा सम्बन्धी उपायों पर कार्यवाही के फलस्वरूप वर्ष 2018 में वर्ष 2017 (माह जनवरी से नवम्बर तक) की तुलना में दुर्घटनाओं की संख्या में लगभग **10 प्रतिशत की कमी आई है।**

150. राज्य के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन निगम के माध्यम से नई बस सेवाएं प्रारम्भ की गयी हैं। सरकार ने **300 नई अत्याधुनिक बसें** क्रय करने का निर्णय लिया है। उक्त बसों के क्रय हेतु ऋण पर ब्याज अदायगी हेतु इस आय–व्ययक **रू0 10.00 करोड़** का प्राविधान किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रमुख बस स्टेशनों एवं ए0सी0, वॉल्वों एवं इण्टरसिटी बसों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाये गये हैं। विभिन्न राजमार्गों पर पड़ने वाले टोल प्लाजा पर RIFD युक्त FASTag के माध्यम से cashless भुगतान किया जा रहा है।

151. राज्य सरकार द्वारा राज्य के वृद्ध, अशक्तजनों तथा छात्राओं आदि को परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके दृष्टिगत **रू0 33.63 करोड़** की धनराशि आय–व्ययक में प्रस्तावित है।

152. ऋषिकेश–कर्णप्रयाग, रूड़की–देवबन्द रेल लाइन पर कार्य प्रगति पर है। देहरादून काठगोदाम के बीच नैनी–दून जनशताब्दी एक्सप्रेस की शुरूआत की जा चुकी है। **रूड़की–देवबन्द रेल लाइन के निर्माण हेतु इस आय–व्ययक में रू0 100.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।**

153. **"दूरियां घटाएंगे दिलों को मिलायेंगे"** की भावना के अन्तर्गत उड़ान योजना के तहत राज्य सरकार की पहल से **देहरादून, पंतनगर व पिथौरागढ़ हेतु** सस्ती हवाई सेवा प्रारम्भ कर दी गयी है। देहरादून देश के 23 शहरों से हवाई सेवा के माध्यम से जुड़ चुका है। राज्य में पर्यटन के विकास हेतु देहरादून में सहस्त्रधारा

हैलीपैड से श्री केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ जी व श्री हेमकुण्ड साहिब सहित चार धाम यात्रा दर्शन यात्रा प्रारम्भ की गई है।

154. राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में निवासियों की सुविधा एवं पर्यटन विस्तार की दृष्टि से शीघ्र ही हैली सर्विस प्रारम्भ की जायेगी।

155. टिहरी शहर को विकसित करने हेतु मास्टर प्लानिंग की जा रही है एवं **टिहरी झील में सी–प्लेन उतारने** की योजना तैयार हो चुकी है। शीघ्र ही उत्तराखण्ड देश में सी–प्लेन की सेवा देने वाला राज्य होगा।

**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति :**

156. राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में निर्णय लिया गया है कि कृषकों से खरीदे गये धान की समस्त मात्रा का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जायेगा एवं मुझे यह अवगत कराते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि **46 लाख कुन्तल धान की खरीद के लक्ष्य के सापेक्ष 68 लाख कुन्तल की खरीद कर सम्बन्धित कृषकों को उनका भुगतान किया जा चुका है।**

157. प्रदेश के समस्त खाद्यान्न गोदाम व जिला, सम्भागीय एवं राज्य स्तरीय कार्यालयों के साथ–साथ लगभग 9304 सस्ता गल्ला दुकानों को भी **सिस्टम इन्टीग्रेटर मॉडल** के अन्तर्गत ऑटोमेट किया जायेगा, जिससे राशन कार्ड धारकों को ऑनलाइन बायोमैट्रिक ऑथेन्टिकेशन के उपरान्त खाद्यान्न उपलब्ध होगा एवं काला बाजारी/डाईवर्जन की सम्भावना समाप्त होगी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में **रू0** 5.00 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

158. **महिलाओं के स्वास्थ्य रक्षण, समय की बचत एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एक अभूतपूर्व कदम है।** विजन 2020 तक निर्धन परिवारों को गैस कनेक्शन देते हुए धुआँ मुक्त रसोई तथा केरोसीन फ्री राज्य के लक्ष्य के अन्तर्गत राज्य उज्जवला योजना द्वारा 7357 लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किए गये हैं।

**ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा :**

159. विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी रेटिंग में उत्तराखण्ड राज्य को **A+ रेटिंग** के साथ **द्वितीय स्थान** पर रखा गया है। ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के प्रभावी अनुश्रवण हेतु मुख्य कार्य निष्पादन संकेतक (Key Performance Indicator) निर्धारित किये गये है। **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) के**

**अन्तर्गत 94 अविद्युतीकृत राजस्व ग्रामों तथा 4993 मजरों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है। योजना के अन्तर्गत अब तक 94 अविद्युतीकृत राजस्व ग्रामों तथा 3763 मजरों का विद्युतीकरण पूर्ण किया जा चुका है।** शेष 1230 मजरों का विद्युतीकरण मार्च, 2019 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

160. **सौभाग्य योजना** के अन्तर्गत प्रदेश के सभी अविद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण कार्य के सापेक्ष कुल **आवेदित 204342 घरों/परिवार का विद्युतीकरण किया जा चुका है।** आजादी के 71 साल बाद घेस (चमोली) जैसे सीमान्त गाँव में भी बिजली पहुँचायी जा चुकी है।

161. उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2018–19 में अब तक 283 एम0वी0ए0 क्षमता के कुल 20 नग 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों का ऊर्जीकरण किया गया है एवं 141 एम0वी0ए0 क्षमता के कुल 13 नग 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

162. उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के द्वारा बेहतर उपभोक्ता सेवा हेतु टोल फ्री नम्बर–1912 की सेवा (24X7) क्रियाशील है। **उत्तराखण्ड राज्य में समस्त श्रेणीयों में देश के अन्य राज्यों की तुलना में न्यूनतम दरों पर विद्युत उपलब्ध करायी जा रही है।** उपभोक्ताओं को बिल जमा कराने हेतु डिजिटल माध्यमों से बिल भुगतान करने की सुविधा बिना किसी शुल्क के प्रदान की गयी है।

163. इन्टीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (IPDS) के अन्तर्गत प्रदेश के कुल चिन्हित 36 शहरों में प्रणाली सुधार कार्य के सापेक्ष 19 पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 76 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त कर शेष शहरों का कार्य प्रगति पर है। आई0पी0डी0एस0 के अन्तर्गत कुल रू0 388.49 करोड़ की लागत से हरिद्वार (कुम्भ क्षेत्र) में विद्युत लाईनों को भूमिगत किये जाने हेतु निविदा प्रक्रिया गतिमान है। इसके अतिरिक्त **देहरादून में भी विद्युत लाईनों को भूमिगत किये जाने हेतु ए0डी0बी0** से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है।

164. **प्रदेश के पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुधार हेतु ए0डी0बी0 द्वारा लगभग 1400 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी।** वर्ष 2018–19 में वर्तमान तक पिटकुल की पारेषण तंत्र की उपलब्धता 99.30 प्रतिशत रही है।

165. विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से DRIP (Dam Rehabilitation & Improvement Project) के अन्तर्गत डाकपत्थर बैराज से कुल्हाल विद्युत गृह तक शक्ति नहर की सफाई एवं मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। डाकपत्थर बैराज, आसन बैराज, बीरभद्र बैराज, इच्छाड़ी डैम, एवं मनेरी डैम के

मरम्मत के कार्य गतिमान हैं। **जनपद पिथौरागढ़ में जुम्मागाड़ 1300 किलोवाट एवं बद्रीनाथ धाम में 1250 किलोवाट की पूर्व निर्मित जल विद्युत परियोजनाओं का** पुनरूद्धार किये जाने का लक्ष्य है। इन योजनाओं से 8.90 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन में वृद्धि की जा सकेगी।

166. **दुनाव** (1.5 मे0वा0) एवं **उर्गम** (3 मे0वा0) लघु जल विद्युत परियोजनाओं को ऊर्जीकृत कर लोकार्पण किया गया है। **120 मे0वा0 की ब्यासी जल विद्युत परियोजना का कार्य तीव्र गति से चल रहा है जिसे वित्तीय वर्ष 2019–20 में पूर्ण कर लिया जायेगा। यह परियोजना राज्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।** कुल 41 मे0वा0 क्षमता के 3 लघु जल विद्युत परियोजनाएं : **मुवानी** (15 मे0वा0) **कमतोली** (14 मे0वा0) एवं **सेराघाट** (11.10 मे0वा0), **बगास आधारित** 16 मेगावाट की **नादेही** एवं 22 मेगावाट की **बाजपुर** परियोजना के कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है।

167. **प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति (संशोधित)–2018 जारी की गयी है।** वित्तीय वर्ष 2019–20 में पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि एवं पलायन रोकने के लिए 200 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट की स्थापना स्थानीय विकासकर्ताओं के माध्यम से कराई जायेगी। **प्रदेश में चीड़ की पत्तियों (पिरूल) से विद्युत उत्पादन नीति के अन्तर्गत आगामी वर्षों में 100 मेगावाट क्षमता की विद्युत उत्पादन इकाइयों एवं ब्रिकेटिंग इकाइयों की स्थापना की जायेगी।** इस योजना से वनाग्नि को रोकने के साथ–साथ रोजगार भी उपलब्ध होगा।

168. **ग्रामीण महिलाओं को सशक्त एवं स्वनिर्भर किये जाने हेतु एल0ई0डी0 ग्राम लाईट कार्यक्रम के संचालन से ग्रामीण महिलाओं की आय में 15 से 20 रूपया प्रति उत्पाद की दर से रू0 300 से रू0 500 की प्रतिदिन आय हो रही है। 'उजाला मित्र योजना'** में महिला स्वयं सहायता समूहों को उजाला मित्र के रूप में एल0ई0डी0 बल्बों के वितरण हेतु सम्मिलित किया गया है।

169. राज्य में एक ओर विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं यथा **ब्यासी, कालीगंगा, मद्महेश्वर** आदि पर कार्य प्रगति पर है, वहीं दूसरी ओर **300 मेगावाट की बावला नंदप्रयाग जल विद्युत परियोजना व लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना** के निर्माण की दिशा में भी हम प्रयासशील हैं।

**सड़क एवं सेतु :**

170. राज्य सरकार सड़कों के निर्माण के साथ–साथ उनके अनुरक्षण में भी अत्यन्त सजग है। सरकार के गठन के समय **वर्ष 2017–18 में प्रदेश के मार्गों/पुलियों के अनुरक्षण हेतु रू0 180.00 करोड़ की धनराशि प्राविधानित थी, जो वित्तीय वर्ष 2019–20 में बढ़ाकर रू0 240.00 करोड़ कर दी गयी है। यह दो वर्षों में 33 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी प्रदर्शित करता है।** वित्तीय वर्ष 2019–20 में 852 कि0मी0 मार्गों का निर्माण, 1040 कि0मी0 मार्गों का पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण, 80 पुलों का निर्माण, 155 गाँवों को जोड़ा जाना, 1500 किमी0 लम्बाई में मार्गों का नवीनीकरण कार्य (वित्तीय वर्ष 2018–19 की तुलना में दोगुना) किये जाने का लक्ष्य है।

171. केदारनाथ में शून्य डिग्री से कम तापमान व विषम परिस्थितियों के बावजूद अधिकांश कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

172. विनिर्माण के क्षेत्र में डाट काली मन्दिर के पास दो लेन सुरंग का निर्माण व एन0एच0–72 पर देहरादून के मोहकमपुर में आर0ओ0बी0 का निर्माण समय से बहुत पहले पूर्ण कर लिया गया है, जो एक पारदर्शी एवं कुशल कार्यक्षमता का उदाहरण है।

173. जनपद टिहरी में देश का सबसे लम्बा मोटर झूला पुल "डोबरा चांटी" ,हरिद्वार में डौसनी एवं चुड़ियाला नामक स्थान पर रेलवे ओवर ब्रिज को आगामी वित्तीय वर्ष 2019–20 में पूर्ण किया जाना लक्षित है। पर्यटकों की सुविधा हेतु सड़क संचार व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए **200 पुल बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना तैयार की जा रही है।**

174. भारत सरकार की महत्वाकांक्षी **चारधाम परियोजना** के अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रगति पर है। ऑल वैदर रोड के अन्तर्गत 260.28 कि0मी0 लम्बाई हेतु रू0 4731.89 करोड़ की धनराशि के कार्य इस अवधि में स्वीकृत हुए है। इस परियोजना को 2020–21 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। इसी प्रकार **'सेतु भारतम योजना'** अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–74 पर काशीपुर के निकट 2 लेन आर0ओ0बी0 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–121 पर काशीपुर के निकट चार लेन आर0ओ0बी0 का कार्य प्रगति में हैं।

175. **वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु चालू योजना अन्तर्गत रू0 450.00 करोड़ व नाबार्ड के अन्तर्गत रू0 360.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।**

**आवास एवं शहरी विकास :**

176. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सुनियोजित विकास हेतु **हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण का विस्तार करने के साथ ही 11 नये जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है।**

177. सरकार वर्ष 2020 तक एक लाख परिवारों को आवासीय सुविधाएं प्रदान किए जाने हेतु कटिबद्ध है। राज्य में प्रत्येक आवासहीन परिवार को आवास उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा देहरादून में 224 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों का निर्माण पूर्ण कर लाभार्थियों को आवासों का आवंटन कर दिया गया है तथा 240 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों का निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है।

178. धौलास क्षेत्र में 240 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों, राजपुर रोड क्षेत्र में 886 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों एवं रूद्रपुर में आवास हीन परिवारों के लिए 1872 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के निर्माण किये जाने की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त की गयी है।

179. आवास नीति 2017 के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा कुल 21,198 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के निर्माण किये जाने सम्बन्धी प्रस्तावों पर कार्यवाही गतिमान है।

180. राज्य में प्रथम बार सभी जनपदों में भूमि उपयोग निर्धारण एवं नियोजित क्रमिक विकास हेतु जी0आई0एस0 आधारित महायोजना बनाये जाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। **इसी क्रम में, सर्वप्रथम जी0आई0एस0 आधारित बेस मैप** बनाये जाने का कार्य गतिमान है।

181. राज्य के सभी विकास प्राधिकरणों में **ऑनलाइन मैप एप्रूवल सिस्टम लागू** की जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है।

182. प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति हेतु राज्य सरकार द्वारा नगरीय/आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि भूमि का गैर कृषिक आवासीय उपयोग हेतु आवास विकास विभाग के अनुज्ञा की औपचारिकता को समाप्त कर दिया गया है। **प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इस आय–व्ययक में रू0 91.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।**

183. शहरी परिवारों को मूलभूत सुविधा यथा–जलापूर्ति, सिवरेज, परिवहन आदि की व्यवस्था हेतु अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन **(अमृत)** के अन्तर्गत प्रदेश के 6 नगर निगमों तथा पर्यटन नगरी नैनीताल को सम्मिलित किया गया है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक में **धनराशि रू0 100.00 करोड़ प्राविधानित** है।

184. सरकार शहरों आधारभूत संरचना विकास की दिशा में कार्यरत है। इस क्रम में ए0डी0बी0 के साथ Uttarakhand Urban Sector Development Programme की लगभग **रू0 1500.00 करोड़** की परियोजना पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है एवं प्रारम्भिक कार्यों हेतु इस आय–व्ययक में **रू0 47.00 करोड़** का प्राविधान किया गया है।

185. **देहरादून को स्मार्ट सिटी** के रूप में विकसित करने हेतु कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं। इस दिशा में **एस0पी0वी0** का गठन हो गया है एवं विभिन्न कार्यों हेतु निविदा प्रक्रिया गतिमान है। स्मार्ट सिटी हेतु इस आय–व्ययक में **रू0 160.00 करोड़** प्रस्तावित है।

186. सरकार शहरी स्थानीय निकायों के विकास की दिशा में भी कार्यरत है। पार्किंग, स्ट्रीट लाईट आदि के स्थापना की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। **वित्तीय वर्ष 2017–18 में** समस्त शहरी स्थानीय निकायों यथाः–नगर निगम, नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायतों हेतु **कुल रू0 595.72 करोड़** का बजट प्राविधान किया गया था जबकि **वित्तीय वर्ष 2019–20** के आय–व्ययक में इन संस्थाओं हेतु कुल **रू0 770.39 करोड़** का बजट प्राविधान किया गया है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2017–18 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019–20 में **लगभग 29.31 प्रतिशत** की वृद्धि की गयी है।

187. 14वें वित्त आयोग के संस्तुतियों के क्रम में **वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु कुल संस्तुत धनराशि रू0 144.90 करोड़** के सापेक्ष **वित्तीय वर्ष 2019–20** में **रू0 195.79 करोड़** की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने का अनुमान है।

188. वर्ष 2021 में होने वाले कुम्भ को अविस्मरणीय बनाने एवं इसके माध्यम से उत्तराखण्ड को आध्यात्मिक राज्य के रूप में विश्वपटल पर स्थापित करने के लिए विभिन्न कार्यों हेतु इस बजट में लगभग **रू0 155.00 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।**

189. भारत सरकार की नयी मेट्रो नीति में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में देहरादून–हरिद्वार–ऋषिकेश मेट्रोपोलिटन क्षेत्र हेतु कॉम्प्रीहेन्सिव मॉबेलिटी प्लान तैयार करा दिया गया है। **वित्तीय वर्ष 2019–20 में मैट्रो ट्रेन के सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 हेतु रू0 5.00 करोड़ की धनराशि प्राविधानित की जानी प्रस्तावित है। मैट्रो ट्रेन का निर्माण व परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु रू0 50.00 करोड़ की धनराशि प्राविधानित की जानी प्रस्तावित है।**

190. शहरी विकास एवं आवास हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में **रू0 1425.64 करोड़** का प्राविधान किया गया है।

**खेल एवं युवा कल्याण :**

191. 38वें राष्ट्रीय खेलों के उत्तराखण्ड में सफल आयोजन हेतु विभाग कृत संकल्प है इस दिशा में विभाग द्वारा अनेक कार्य किये जा रहे हैं एवं खेल अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है। हल्द्वानी (नैनीताल) में अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स का निर्माण, स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़ का निर्माण, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर, देहरादून में एथलेटिक सिंथैटिक ट्रैक, 3000 दर्शकों का दर्शकदीर्घा, शूटिंग रेंज का निर्माण, बहुउद्देशीय क्रीड़ाहॉल का निर्माण व हरिद्वार में हॉकी एस्ट्रोटर्फ का निर्माण सम्बन्धी कार्य किये जायेंगे। इसी क्रम में देहरादून स्पोर्ट्स कॉलेज के भवन निर्माण, पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज भवन निर्माण आदि हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है। **38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु केन्द्र एवं राज्य की विभिन्न मदों में कुल रू0 72.10 करोड़ का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु किया गया है।**

192. अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम हल्द्वानी के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में **विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत रू0 44.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है।**

193. युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एवं युवाओं को शारीरिक रूप से सक्षम बनाने हेतु राज्य में **"खेल महाकुम्भ"** के आयोजन हेतु **वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 8.00 करोड़** की धनराशि प्रस्तावित है। इस आयोजन में प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्र के सभी आयुवर्ग के लगभग 3.58 लाख खिलाडियों को प्रतिभाग करवाये जाने का लक्ष्य है।

194. खेल एवं युवा कल्याण विभाग अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु **कुल धनराशि रू0 166.33 करोड़ प्रस्तावित है।**

**सूचना प्रौद्योगिकी :**

195. राज्यकर्मियों को साइबर सिक्योरिटी में दक्ष बनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने एवं ड्रोन एप्लीकेशन पर शोधकर्ताओं तथा प्रशिक्षुओं की क्षमता को विकसित करने हेतु नेशनल क्रिटिकल इन्फॉरमेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर तथा

एन0टी0आर0ओ0 के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी भवन में तकनीकी लैब एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

196. क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क की स्थापना (SWAN) के अन्तर्गत स्वान नेटवर्क में स्थापित समस्त पुराने उपकरणों को नई तकनीकी के माध्यम से अपग्रेड किया जा रहा है। प्रथम चरण मे राज्य मुख्यालय तथा जनपदों–देहरादून, रूद्रप्रयाग, चम्पावत, पिथौरागढ़ एंव बागेश्वर में अपग्रेडेशन आरम्भ हो गया है। शेष जनपदों में अपग्रेडेशन वर्ष 2019–20 में प्रस्तावित है। **इस हेतु रू0 25.00 करोड़ की धनराशि प्राविधान आय–व्ययक में किया गया है।** इसके अतिरिक्त स्वान केन्द्रों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी (आर0एफ0) स्थापित कर होरिजोन्टल कनेक्टिविटी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है, जिससे बैडविड्थ पर आवर्तित व्यय को कम किया जा सकेगा।

197. सरकार के प्रयासों से राज्य के अत्याधुनिक **'स्टेट डाटा सेंटर' की स्थापना पूर्ण हो गयी है** तथा डाटा सेंटर में सभी विभागों के सर्वर/एप्लीकेशन स्थापित किये जाने प्रस्तावित है, जो क्षेत्रीय इकाइयों से स्वान नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होंगे।

198. **राज्य के समस्त जनपदो में तहसील एवं ब्लॉक स्तर तक वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग की स्थापना** के प्रथम चरण में राज्य मुख्यालय में स्थापित प्रमुख कार्यालय यथा राजभवन, मुख्यमंत्री कार्यालय व सचिवालय में सचिव स्तर तक के कार्यालय, स्वान केन्द्र, जनपद मुख्यालय, हरिद्वार जनपद के बहादराबाद में ग्राम पंचायत स्तर तक वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग की स्थापना की कार्यवाही आरम्भ हो चुकी है। द्वितीय चरण में, शेष स्थलों में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा के लिये धनराशि का प्राविधान किया गया है।

199. राज्य में **नवोन्मेषिता** को प्रोत्साहन देने के दृष्टिगत फरवरी माह में **इण्डिया ड्रोन फेस्टिवल, 2019** का आयोजन किया जायेगा।

**कोषागार पेंशन एवं हकदारी, वित्त एवं वाणिज्य कर :**

200. राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस प्लान के अन्तर्गत मिशन मोड परियोजना (कोषागार कम्प्यूटराइजेशन) के अन्तर्गत वित्त विभाग के अधीनस्थ निदेशालयों के प्रयोगार्थ Intergrated Financial Management Solution (IFMS) सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से राज्य के समस्त कार्मिकों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एच0आर0एम0एस0) की व्यवस्था कर उनकी सर्विस–बुक, वेतन पर्ची तथा अन्य अभिलेख ऑनलाइन कर दिये जायेंगे।

201. जन सामान्य की सुविधा के लिये सोसाइटी पंजीकरण एवं नवीनीकरण की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गयी है एवं प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य में ई–स्टाम्प योजना भी लागू की गयी है।

202. उत्तराखण्ड राज्य में वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली को सशक्त एवं सुदृढ़ एवं राज्य वित्तीय अनुशासन में वृद्धि किये जाने हेतु वर्ल्ड **बैंक के सहयोग से लगभग रू0 280 करोड़ की उत्तराखण्ड लोक वित्तीय प्रबन्धन सुदृढ़ीकरण परियोजना को क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है।** इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु इस **आय–व्ययक में रू0 60.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।**

203. नयी पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिकों/सरकार के अंशदान को जुलाई, 2018 से ई–कुबेर के माध्यम से ऑनलाइन NSDL खाते में स्थानान्तरित किया जा रहा है।

204. विभिन्न विभागों में आधारभूत संरचनात्मक विकास हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत **रू0 200 करोड़** का प्राविधान किया गया है।

205. राज्य की सकल प्राप्तियों में व्यापार कर/मूल्य वर्धित कर का योगदान लगभग 66 प्रतिशत होने के कारण यह राज्य की आय का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। राज्य कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में दिसम्बर, 2018 तक कुल **रू0** 5105.18 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि गत वर्ष के सापेक्ष लगभग 24 प्रतिशत अधिक है।

206. राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखे गये वस्तुओं से वित्तीय वर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर, 2018 तक कुल **रू0** 1348.62 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।

207. राज्य में अवस्थित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विनिर्माता इकाइयों को **बी0टू0सी बिन्दु** पर जमा किए गये **एस0जी0एस0टी0** भाग की प्रतिपूर्ति किए जाने के माध्यम से सुविधा प्रदान की गयी है। जनहित में सरकार द्वारा व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना दिनांक 19.11.2018 से दिनांक 18.11.2019 तक के लिए लागू की है।

208. आम नागरिकों को राहत देने हेतु राज्य सरकार द्वारा **वैट की दर को तर्क संगत बनाते हुए पेट्रोल व डीजल पर कर की दरों में कमी की गयी है।**

209. राज्य सरकार विकास कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु **ई–गवर्नेंस के अतिरिक्त जी–गवर्नेंस** की ओर भी अग्रसर हैं। इस कड़ी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की सहायता से तैयार किये गये **जियो पोर्टल** को नियोजन विभाग द्वारा संचालित किये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिसके प्रथम चरण में समस्त जनपदों में जी0आई0एस0 प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

210. विभागों से वित्तीय एवं भौतिक आंकड़ों की सूचनाओं को पेपर लैस करने हेतु **"ई–आंकलन"** (ऑनलाइन) पोर्टल तैयार किया गया है, जिससे विभागीय कार्यों की नियमित प्रभावी समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जा रहा है।

**गृह एवं आन्तरिक सुरक्षा :**

211. प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाये रखने एवं आन्तरिक सुरक्षा के दृष्टिगत इस आय–व्ययक में पुलिस विभाग में नये वाहनो के क्रय हेतु गत वर्षों से लगातार बजट प्राविधान किया जा रहा है। इसी क्रम में, **वित्तीय वर्ष 2019–20 में भी रू0 7.42 करोड़** का प्राविधान किया गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य में 02 थानों व 01 रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, का सृजन तथा 08 थानों का विस्तारीकरण किया गया है। पुलिस विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवन हेतु कुल धनराशि **रू0 19.00 करोड़** का प्राविधान इस आय–व्ययक में किया गया है।

212. **उत्तराखण्ड घुड़सवार पुलिस सेवा नियमावली 2018, उत्तराखण्ड मोटर परिवहन शाखा, अधीनस्थ सेवा नियमावली 2018, उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2018, उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा नियमावली, 2018 प्रख्यापित हुई हैं।** वर्ष 2018 में साइबर क्राइम के क्षेत्र में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण व जागरूकता के क्षेत्र में किये गये उल्लेखनीय योगदान के लिये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तराखण्ड को सम्मानित किया गया। **ऑपरेशन स्माइल अभियान** से कुल 295 गुमशुदा बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया है।

213. उत्तराखण्ड पुलिस माउण्ट एवरेस्ट 15 सदस्यीय टीम में सम्मिलित एसडीआरएफ वाहिनी जौलीग्रान्ट के 08 सदस्यों द्वारा माउण्ट एवरेस्ट का सफलता पूर्वक दिनांक 20–05–2018 एवं 22–05–2018 को आरोहण कर उत्तराखण्ड पुलिस एवं एसडीआरएफ का नाम गौरवान्वित किया है।

214. प्रदेश के 06 जनपदो में जिला कारागार स्थापित किया जाना है जिसमें चम्पावत एवं पिथौरागढ़ में निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका हैं। जनपद उत्तरकाशी, बागेश्वर एवं ऊधमसिंह नगर में भूमि चयन किया जा चुका है तथा जनपद रूद्रप्रयाग में भूमि चयन की प्रक्रिया प्रचलित है।

215. पुलिस एंव जेल विभागान्तर्गत कुल **धनराशि रू0 1967.02 करोड़** का प्राविधान इस आय–व्ययक में प्रस्तावित है।

**आपदा प्रबन्धन :**

216. आपदा के कारण होने वाली क्षति के नियमित परिवीक्षण के लिए वेब आधारित ऑनलाइन रिपोर्टिंग व्यवस्था **'सचेत'** का विकास किया गया है। आकाशीय बिजली (वज्रपात) को स्थानीय आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है।

217. एस0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण हेतु **रू0 320.00 करोड़** का प्राविधान इस आय–व्ययक में किया गया है। आपदा से क्षतिग्रस्त वे परिसम्पत्तियाँ जो एस0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत अनुरक्षित नहीं हैं, के पुनर्निर्माण को समयबद्ध एवं शीघ्रताशीघ्र किये जाने हेतु जिलाधिकारियों के निवर्तन पर **रू0 26.00 करोड़** की धनराशि का प्राविधान किया गया है। चमोली, टिहरी, रूद्रप्रयाग एवं बागेश्वर के 18 गाँवों/तोकों के 328 परिवारों के पुनर्वास हेतु धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु **रू0 15.00 करोड़** की व्यवस्था प्रस्तावित है।

218. विभिन्न आपदा सम्बन्धी कार्यों हेतु सिंचाई विभाग अन्तर्गत **रू0** 8.00 करोड़ एवं पेयजल हेतु **रू0** 4.00 करोड़ तथा लोक निर्माण विभाग अन्तर्गत **रू0** 15.00 करोड़ का प्राविधान इस आय–व्ययक में किया गया है।

219. राज्य के महत्वपूर्ण भवनों की भूकम्प घातकता का आंकलन Rapid Visual Screening (RVS) विधि से किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत अब तक 18,835 भवनों का घातकता आंकलन किया जा चुका है। भूकम्प सुरक्षित भवन निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 13 जिलों में 808 स्थानीय राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षित करते हुए 31 प्रदर्शन इकाइयों (Demonstration Units) का निर्माण किया गया है।

220. मौसम से सम्बन्धित पुर्वानुमान को सुदृढ़ व प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य में 107 ऑटोमैटिक वैदर स्टेशन, 25 सरफेस फील्ड ऑब्जरवेटरी, 16 स्नोगेज व 28 ऑटोमैटिक रैनगेज की स्थापना भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई0एस0डी0) के तकनीकी सहयोग से की जा रही है।

221. वर्ष 2020 तक राज्य के समस्त महिला मंगल दल व युवक मंगल दल को प्रशिक्षित किये जाने के उद्देश्य से 05 दिवसीय आपदा जागरूकता एवं खोज बचाव में प्रशिक्षण कार्य गतिमान है। आपदा की स्थिति में संचार व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के उद्देश्य से जनपदो को सेटेलाइट फोन उपलब्ध कराये गये है तथा 79 नये सेटेलाइट फोन क्रय किये जा रहे है। राज्य में उत्तराखण्ड

रिवर मार्फोलॉजी इन्फारमेशन सिस्टम (Uttarakhand River Morphological Information System (URMIS) विकसित किया गया है।

222. कुशल आपदा प्रबन्धन के दृष्टिगत **विश्व बैंक से रू0 700.00 करोड़ की परियोजना पर सहमति प्राप्त हो गयी है।** परियोजनान्तर्गत **रू0** 300.00 करोड़ की लागत से विभिन्न पुलों का निर्माण एवं **रू0** 72.00 करोड़ की लागत से एस0डी0आर0एफ0 मुख्यालय का निर्माण आदि कार्य सम्मिलित है।

223. राज्य आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु कुल धनराशि **रू0 962.63 करोड़** का प्राविधान किया गया है।

**हम आईना हैं आईना ही रहेंगे, फिक्र वो करें।**
**जिनकी शक्लों में कुछ और दिल में कुछ और है।।**

**मान्यवर,**

मैं वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक अनुमानों के प्रमुख आकड़ों का उल्लेख करना चाहूँगा।

वर्ष 2019–20 में कुल प्राप्तियाँ **रू0 48679.43 करोड़ अनुमानित हैं जिसमें रू0 38955.49 करोड़ राजस्व प्राप्तियाँ तथा रू0 9723.94 करोड़** पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व रू0 23622.11 करोड़ है जिसमें केन्द्रीय करों में राज्य का **अंश रू0 8885.26 करोड़ सम्मिलित है।**

राज्य के स्वयं के स्रोतों से कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति रू0 18991.66 करोड़ में कर **राजस्व रू0 14736.85 करोड़ तथा करेत्तर राजस्व रू0 4254.81 करोड़ अनुमानित है।**

**व्यय :**

वर्ष 2019–20 में ऋणों के प्रतिदान **पर रू0 2876.31 करोड़, ब्याज की अदायगी के रूप में रू0 5332.19 करोड़, राज्य कर्मचारियों के वेतन–भत्तों आदि पर लगभग रू0 13340.00 करोड़,** सहायता प्राप्त शिक्षण व अन्य संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग **रू0 1173.80 करोड़,** पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में **रू0** 5942.69 करोड़ व्यय अनुमानित है।

वर्ष 2019–20 में कुल व्यय **रू0 48663.90 करोड़** अनुमानित है। कुल व्यय में **रू0 38932.70 करोड़** राजस्व लेखे का व्यय है तथा **रू0** 9731.20 करोड़ पूँजी लेखे का व्यय है।

**समेकित निधि में घाटा :**

वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक प्रस्ताव के आधार पर कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है बल्कि **रू0 22.79 करोड़** का राजस्व सरप्लस सम्भावित है जबकि **रू0 6798.15 करोड़** का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। उक्तानुसार अनुमानित राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमान्तर्गत है।

**लोक–लेखा से समायोजन :**

वर्ष 2019–20 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए **रू0 150.00 करोड़** लोक–लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

**अन्तिम शेष :**

वर्ष 2019–20 के अनुमानित प्रारम्भिक शेष **रू0 830.79 करोड़** तथा वर्ष की प्राप्तियों एवं व्यय पश्चात् अन्तिम शेष **रू0 746.32 करोड़** रहना अनुमानित है।

**सूर्य हूँ मैं हर एक पल जला हूँ सदा।**

**चाँद बन रात में भी चला हूँ सदा।।**

**हार के टूटने का मैं आदी नहीं।**

**मैं कमल कीच में भी खिला हूँ सदा।।**

**मान्यवर,**

अन्त में, मैं, मा0 मुख्यमंत्री जी एवं मंत्रिमण्डल के अपने सहयोगियों के प्रति उनके सहयोग तथा परामर्श के लिए आभार प्रकट करता हूँ। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बजट तैयार करने में जो सहायता मुझे दी है उसके लिए, मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मैं महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता के लिए भी कृतज्ञ हूँ। मैं, राजकीय मुद्रणालय तथा एन0आई0सी0

के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके परिश्रम एवं सहयोग से समय से बजट तैयार करना व बजट साहित्य का मुद्रण सम्भव हो सका।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का यह बजट समन्वेषी विकास की अवधारणा को चरितार्थ करता है। एक ओर हमारी सरकार किसानों के हितों के संरक्षण एवं उनकी आय को बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है, वहीं दूसरी ओर महिला एवं बाल विकास के दृष्टिगत भी योजनाएं प्रस्तावित की गयी हैं। स्वास्थ्य, रोजगार एवं निवेश भी इस बजट के मुख्य बिन्दु हैं। निश्चित ही यह बजट हमारी सरकार की विभिन्न प्रतिबद्धताओं यथा–विजन 2020 एवं विजन 2030 में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगा।

**'सबका साथ सबका विकास'** की भावना से प्रेरित हमारा यह बजट उन्नति का बजट है, जन आशाओं का बजट है और हमारे नेक इरादों का बजट है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष 2019–20 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

**दुश्वारी ही शमा है राह–ए–दिलेर की।**
**चीर कर चट्टान आबशार बहा करते हैं।।**

माघ 29, शक सम्वत् 1940

तद्नुसार

18 फरवरी, 2019